मेसर्स तिरूमाला बालाजी एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–बी, जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित फेरो एलायज प्लांट (सबमर्ज्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस), फेरो मैगनीज (**Fe-Mn**) क्षमता–28000 टी.पी.ए. से 48000 टी.पी.ए. अथवा सिलिको मैगनीज (**Si-Mn**) क्षमता–28000 टी.पी.ए. से 42000 एम.टी.पी.ए. अथवा फेरो क्रोम (**Fe-Cr**) क्षमता–28000 टी.पी.ए. से 43000 टी.पी.ए. अथवा फेरो सिलिको (**Fe-Si**) क्षमता–15000 टी.पी.ए. (लीज एरिया–15 एकड़) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 14 दिसम्बर 2017 का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स तिरूमाला बालाजी एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–बी, जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित फेरो एलायज प्लांट (सबमर्ज्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस), फेरो मैगनीज (Fe-Mn) क्षमता–28000 टी.पी.ए. से 48000 टी.पी.ए. अथवा सिलिको मैगनीज (Si-Mn) क्षमता–28000 टी.पी.ए. से 42000 एम.टी.पी.ए. अथवा फेरो क्रोम (Fe-Cr) क्षमता–28000 टी.पी.ए. से 43000 टी.पी.ए. अथवा फेरो सिलिको (Fe-Si) क्षमता–15000 टी.पी.ए. (लीज एरिया–15 एकड़) के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 14.12.2017 को समय–11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर प्रांगण, ग्राम–तराईमाल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी के डायरेक्टर श्री मनोज बाहेती–सर्वप्रथम मैं मनोज वाहेती, डायरेक्टर तिरूमाला बालाजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी माननीय अतिथिगण पुलिस प्रशासन उपस्थित जनता का लोकसुनवाई में स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क में प्लाट नंबर 111, 112, 113 एवं 114, सेक्टर–बी, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ में दो नाईन एमबीए इलेक्ट्रिक सब्मर्जड् आर्क फर्नेस इकाई का संचालन 2005 से किया जा रहा है। वर्तमान परिसर का क्षेत्रफल 15 एकड़ है इसी परिसर में हमारे द्वारा फेरो एलाय उत्पादन हेतु नाईन एमबीए का एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाया जाना प्रस्तावित है। इस एक नाईन एमबीए फर्नेस के लगाने से हमारी उत्पाद क्षमता जो अभी 28000 टन है वो बढ़ के 48000 टन इन केस ऑफ फेरो मैग्नीज, सिलिको मैग्नीज और 43000 टन फेरो क्रोम की हो जायेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिये वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया है इसी तारतम्य में यह लोकसुनवाई आयोजित की गई है। परियोजना में हमारे द्वारा वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिये फ्यूम एक्सट्रेशन सिस्टम एवं बैग फिल्टर लगाया जावेगा। स्थापित प्लांट संचालन हेतु जल की कुल आवश्यकता 43.2 घन मीटर प्रतिदिन है। विस्तार के बाद जल की कुल आवश्यकता 68.2 घन मीटर प्रतिदिन होगी यह भू जल स्त्रोत से लेंगे प्रस्तावित क्षमता विस्तार के लिये नये रोजगार के अवसर बनेगे और साथ ही स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा जिसके कारण आस–पास के क्षेत्रों को लाभ होगा सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससे परियोजना

द्वारा निकष्ट क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नही होंगे। अंत में प्रस्तावित योजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों / परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों / बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 500 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 52 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती / श्री –

1. खिरसागर मालाकार, तराईमाल – मेसर्स रूपानाधाम बालाजी एलायज प्राईवेट लिमिटेड का क्षमता विस्तार होने जा रहा है, जिसके संबंध मे मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। क्षमता विस्तार मिन्स उद्योगो में बड़ोत्तरी, उद्योगो की बड़ोत्तरी में एक आदमी की आर्थिक स्थिति में बड़ोत्तरी उद्योग का अर्थ यह नहीं होता है कि कल–कारखाने लगाना, धुआ उड़ाना, उद्योग का अर्थ यह है कि उद्योग एक आदमी के साथ–साथ कई आदमी का विकास, समाज का विकास उसको उद्योग बोलेंगे, और एक ही आदमी का विकास उसको रोजगार या दुकान कह सकते है जैसे गुपचुप वाला, पान ठेला वाला उसको हम लोग बोलेंगे दुकानदारी। और उद्योग का अर्थ यह होता है कि समाज और प्रभावित क्षेत्र का विकास तो क्षमता विस्तार अगर होता है तो आम पब्लिक को क्षमता विस्तार का समर्थन करना ही चाहिए भई क्योंकि इसमें समाज का भी विकास होगा जो इक्यूपमेंट लगेंगे प्लांट में तो उसमें 200 आदमी का रोजगार का भी अवशर मिलेगा। हमे कतइ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी भी उद्योग का बहिस्कार करें। हाँ इनता जरूर है उद्योग वाले इतना विशेष ध्यान दे कि जो कल कारखाने वाले से उड़ने वाले काले धुआं, डस्ट है पालुशन है उसमें थोड़ा सा नियंत्रण रखे और जो भी अधिकारी, कर्मचारी वर्ग आला अधिकारी लोग जो बैठे है वो इस बात का निरीक्षण बीच–बीच में करते रहे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी समाज कभी भी प्रभावित नहीं होगा मॉ बंजारी के अशीम कृपा से हम लोग यहा पर उपस्थित हुये है और सभी को बोलना चाहूँगा कि कल मिला था उद्योग के महोदय जी से डायरेक्टर साहब से उनका विचार एकदम बढ़िया लगा उनका विचार ऐसे लगा कि मतलब वो समाज के लिये कुछ करना चाहते है और सीधा–सीधा बोले भाई उद्योग इसलिए बड़ा रहा कि भाई समाज का विकास हो सके मैं बाहर का आदमी हूँ आप लोग लोकल हो आप लोग जैसा समझो तो रात भर मैने सोचा ऐसा तो थर्ड पर्सन ने बोला क्या सही है क्या उद्योग का अगर विस्तार होता है इसमें कोई घाटा तो नहीं है अपने को तो सभी कोई को यह सोचना चाहिए कि उद्योग के विस्तार के साथ–साथ समाज का भी विस्तार होता है इसे हमे अपनाना चाहिए। जनसुनवाई करवाने की जरूरत ही नहीं है सबको एक सहमति देना चाहिए पंचायत में प्रस्ताव रखके इसको छोटा–मोटा आडंबर करवा के इसका समर्थन ही करना चाहिए सबको इतना बड़ा आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं भविष्य में इस टाईप के कुछ होता है तो मैं अधिकारी से निवेदन करूंगा और बार–बार करते आ रहा हूँ इतना बड़ा आडंबर न करके इतना खर्चा न करके वे पंचायत बैठक 8, 10 गांव का ले ले जहा का क्षेत्र प्रभावित होता है और उसमें अपना समर्थन विरोध जो भी है वोटिंग करवाले भाई हर किसी को उद्योग का सहमति है समर्थन है कोई नहीं चाहता कि

हमारे यहा उद्योग न हो हम लोग तराईमाल वाले मैं मालाकार परिवार मै माली हूॅ मैं यहा से 16 कि.मी. 9वीं, 10वीं क्लास पड़ रहा था, बुंदी बेचने जाता था वहा से आके पड़ने जाता था ये हमारा दुर्भाग्य था आज कल–कारखाने आ गये है कही जाने की जरूरत नहीं सुबह उठो चंदन टीका लगाओ मॉ बंजारी का आशीर्वाद पाओ, दिन भर दुकान में बैठ जाओ कही जगह जाने की जरूरत नहीं है जितने लोकल आदमी है सबका विकास हो रहा है सब अभी चमक रहे है, पहले दिन भर खेती बाड़ी करते थे धूप में पसीना छुटता था अभी सब आदमी संपन्न है, हर आदमी कूलर, पंखा, ए.सी. में है सब चीज सोचे मैं शुरूवात कर रहा हूॅ इसीलिये लंबा बोला सब को सब चीज बता दूॅ। अगर किसी के मन मे भी इस तरीके के भाव हो मैं विरोध करूंगा तो अपने हृदय अंदर आत्मा को पूछे क्यों विरोध करेगा और फिर वो विरोध करे या समर्थन मैं इतना कर कर अपना वाणी वक्तव्य को विराम देता हूॅ और मैं फैक्ट्री से क्षमता विस्तार का समर्थन करता हूॅ। धन्यवाद।

2. रामेश्वर बघेल, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
3. चमार साहू, तराईमाल, – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
4. रतिराम, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
5. पित्रु यादव, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
6. आंनदराम, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
7. पुनुराम, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
8. विनोद दिवाकर, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
9. सुकांति, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
10. राधेमांझी, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
11. घुराई, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
12. विजय कुमार, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
13. कुशनिंदी, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
14. फेकराम, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
15. मंगली बाई, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
16. उमेश कुमार, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
17. सुंदरी, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
18. सुंदर राम, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
19. सेतबति, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
20. मिनी बाई, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
21. फुलो बाई, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
22. कांतिबाई, – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
23. सीताराम, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
24. विजयराम, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
25. शंकर कुमार , तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
26. अमर यादव, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
27. विजय कुमार, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
28. संघर्ष, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
29. बुधमेत, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
30. उर्मिला, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
31. नानकुन, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
32. जिधीमति, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
33. भगवति बरेठ, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
34. घुराई, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
35. सुकांति मांझी, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
36. राधिका, तराईमाल – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।

37. जयंती, तुमीडीह – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
38. ज्योति सिदार, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
39. धनमति, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
40. कलावति, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
41. कमला राठिया, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
42. मंजु राठिया, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
43. सावित्री सिदार, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
44. अहिल्या देवी, पूंजीपथरा – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
45. सुमीति, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
46. साधना, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
47. सरिता, पूंजीपथरा – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
48. दुलारी, पूंजीपथरा – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
49. गुरवारी, पड़कीपहरी, – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
50. रमशीला, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
51. नफरन, पड़कीपहरी – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
52. श्रीराम बाई, पड़कीपहरी, – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
53. श्यामबाई, पड़कीपहरी, – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
54. पपीता, पड़कीपहरी, – मै फैक्ट्री का समर्थन करता हूँ।
55. बुटुराम, तराईमाल – समर्थन है।
56. शनिराम धनवार, तराईमाल – मे तो पढ़े–लिखे नई हो छत्तीसगढ़ीया हो तो मोला जो देना चाहत हे ओला दे देही, अउ नई दिही तेला मत दिही मैं छत्तीसगढ़ीया हो पढ़े–लिखे तो जानो नहीं फैक्ट्री ला समर्थन करत हो।
57. कन्हैयालाल गुप्ता, तुमीडीह – समर्थन।
58. लक्ष्मी प्रसाद, तुमीडीह – समर्थन।
59. हेमंत राठिया, तुमीडीह – समर्थन
60. किश्मत राम माझी, तुमीडीह – समर्थन।
61. सुनंदा रेड्डी, हैदराबाद – I V.Sunanda Reddy, I am the first environmentalist and advocate in India to support Industry developments. My best wishes and supporting the management of M/s Tirumala Balaji Alloys Pvt. Ltd. Generally Environmentalists opposes industries but I am hole heartedly supporting the proposed expansion of Ferro Allyos unit. Because in India approximately 40 crores youth between the age group 1 0

8 to 35 years are waiting for employment opportunities and urgent need of industrial development of Chhattisgarh State. At the same time here is a great necessity to protect the ecological balance. I am giving you few suggestions to maintain the Ecological balance and development of your Industry.

1. Your consultant have already conducted baseline survey of air, water, land and noise it is very good. My request is please collect the data of the health status of the people, crop, production status and ground water availability status within 10 Kms radius. It is very useful in future and utilize as a parameter to take precautinory affective measures to maintain ecological balance.
2. My request and suggestions to you to take up proposed industry 15 ac of land, in this land total rain water received approximately 8 crore liters for annum. But the water is not sufficiantly available throught the year it is a limited source. The excess water is available in rain season only. My suggestion is please make special efforts to collect rain water to store construct storage thanks for stroage rainy water. It is very usefull to use the rainy water in non rainy days to your industry. It is very benficial to maintain ecological balance.
3. You have planed takeup plantation 33% land is very good. My suggestion is to takeup plantation 40-50% is very esential to control presure on ecological balance because indian

papulation is increasing 10 crores for every 10 years. It is very preserised on natural resources.

4. Lease take up village plantation in nearby villages and also avenue plantation in nearby villages on which internal roads your vehicles transporting the materials to control dust pollution. My request is you should give priority to plant fruit bearing plants and medicinal value plants instead of normal plants. It is very beneficial to control dust pollution and also available fruits in nearby vilalges.
5. Pleases give top priority to the local educate unemployed youth to give employment in your industry.
6. My humble request is to promote skill development training to unemployed youth to get, better skills and to get employment chances in your industry remaining youth to get other places jobs. Countries like Japan and Korea youth 96 percent got skill development trainings. But in India 5 to 6 percent youth have skilled persons.
7. My request is to form a co-ordination committies with villagers and yout company officials. Govt. Officials and PCB officials to take up plan of action of CSR budget. It is very effectively helping and meaningful to take up demand oriented works. Please discourage target oriented works with this activity a great crediability comes to you.
8. Please take up proper pollution control measurers Air, Water, Land it is very essential maintain ecological balance.

Once again my best wishes and supporting to your industrial development at the same time please maintain the Ecological balance and environment safety.

I am Congratulating your environment consultancy which has prepared detailed EIA report to your Project is very good and satisfactory.

Finally I am requesting the public hearing panel committi to recommend to MOEF to give unconditional permission to M/s Tirumala Balaji Alloys Pvt. Ltd. Proposed expansion of Ferro Alloys unit at Village Punjipathra, Gharghoda Tehsil, District-Raigarh, Chhattisgarh state.

62. राजेन्द्र कुमार, तुमीडीह – समर्थन।
63. अनिल अंसारी, तुमीडीह – समर्थन।
64. राजकुमार, तुमीडीह – समर्थन।
65. सफिक आलम, तुमीडीह – समर्थन।
66. राजकुमार, तुमीडीह – समर्थन।
67. अक्कि मांझी, तुमीडीह – समर्थन।
68. अमित सिदार, तुमीडीह – समर्थन।
69. श्रवन कुमार, तुमीडीह – समर्थन।
70. नथवा कुमार, तुमीडीह – समर्थन।
71. रजनी बाई, पड़कीपहरी – समर्थन।
72. अशोक, तुमीडीह – समर्थन।
73. माधुरी चौहान, पड़कीपहरी, –समर्थन।
74. पूजा सिदार, पड़कीपहरी – समर्थन।
75. पद्मा चौहान, पूंजीपथरा – समर्थन।
76. लक्ष्मीन, पड़कीपहरी, – समर्थन।
77. कुमारी सिदार, पड़कीपहरी, – समर्थन।
78. राधा राठिया, पड़कीपहरी, – समर्थन।
79. रामप्यारी, पड़कीपहरी, – समर्थन।
80. ममता सिदार, पड़कीपहरी, – समर्थन।
81. निशा सिंह, पूंजीपथरा – समर्थन।
82. सोनी सिंह, तुमीडीह, – समर्थन।
83. पुजा, पड़कीपहरी, – समर्थन।
84. सुषमा गड़ा, पूंजीपथरा – समर्थन।

85. हीरामति पैकरा, पूंजीपथरा – समर्थन।
86. राधा, पूंजीपथरा – समर्थन।
87. सुमति, पूंजीपथरा – समर्थन।
88. नमिता, पूंजीपथरा – समर्थन।
89. गुरूवारी, पूंजीपथरा – समर्थन।
90. मटिया, पूंजीपथरा – समर्थन।
91. शोभा, पूंजीपथरा – समर्थन।
92. फुलकुमारी, पूंजीपथरा – समर्थन।
93. सवित्री, पूंजीपथरा – समर्थन।
94. आलोक, तुमीडीह – समर्थन।
95. मोहनलाल, पूंजीपथरा – समर्थन।
96. सरोज कुमार, तुमीडीह – समर्थन।
97. लव, तुमीडीह – समर्थन।
98. जयंत बहिदार, जन संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – आदरणीय पीठासीन अधिकारी लोक सुनवाई अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदय, आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अद्यीक्षक महोदय, आदरणीय पर्यावरण अधिकारी महोदय और एक आदरीणीय साहब है उनका नाम तो मैं नहीं जानता लोक सुनवाई में उपस्थित सभी सरकारी अधिकारी पुलिस वाले और इस क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासी जनता माँ–बहन लोक सुनवाई लगता है हमारे आदरणीय पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदय को लोक सुनवाई प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। उनको गुमराह किया गया है मंच पर उपस्थित सभी अधिकारियों को तहेदिल से सम्मान करता हूँ परन्तु जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो प्रक्रिया के बारे में हमको बताना भी है और जहाँ कानून का और नियमो प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है उन पर हमको आपत्ति भी करना है। मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ लोक सुनवाई को एक कलेक्टर महोदय या उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी और एक पर्यावरण के विशेषज्ञ केवल दो अधिकारी ही सम्भालते है और अन्य अधिकारियों को मंच पर नहीं बैठाना चाहिए। मैं चौहान साहब का बहुत ही आदर करता हूँ मैं चौहान साहब से चाहुंगा कि हम लोगो के जनता के बीच आये ताकि हमारे जनता का यहा के गांव के महिलाओं का यहा के लोगो का किसानों का आदिवासियों को हौसला बढ़े हमारे साथ आकर बैठे हमारे साथ आकर बैठेंगे तो किसानों का हौसला अफजाई होगा। चलिये बात को आगे बढ़ाते है। ये जो लोक सुनवाई हो रही है ये तिरूमालो बालाजी का जो फेरो एलायज प्लांट है उसका विस्तार होना है इसलिये पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये कुछ प्रक्रिया के तहत लोक सुनवाई करवाई जा रही है। ये कंपनी एक प्राईवेट कंपनी है और हमारे अधिकारी कर्मचारी ऐसे आव भगत में लगे है। इतने आव–भगत और इतनी चाक–चौबंध व्यवस्था ताकि गांव के गरीब लोग डर जाये और भयभीत हो जाये ताकि कंपनी का केवल समर्थन करते चले जाये। ऐसे ही लगता है। इस पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रक्रिया के दौरान लोक सुनवाई कराना भारत सरकार के पर्यावरण कानून के तहत् भारत सरकार के नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 के तहत् यह प्रक्रिया पुरी करना है। इस नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया को नियम और प्रावधानों के तहत् कड़ाई के साथ करना है। त्रुटी नहीं करना है, गलती नहीं करना और इसलिये हर राज्यों में राज्य सरकार ने उसके लिये एक दिशा निर्देश भी जारी किया है। पर्यावरण अधिकारी महोदय को मालुम है हो सकता है कि पीठासीन अधिकारी महोदया को न मालुम हो मै ले आया हूँ मैं चाहुंगा कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को यह पत्र दे दीजिये छ.ग. के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रमुख सचिव तत्कालीन श्री पी.जाय. उमेन्द्र साहब जो बाद में छ.ग. के चीफ सेकरेटरी भी बने वो 21 दिसम्बर 2006 से पत्र पूरे छ.ग. के लिये जारी किया था कि अगर लोक सुनवाई होगी तो किस प्रक्रिया से होगी, लोक सुनवाई के लिये जो नियम बने है उसमें किया गया नाटिफिकेशन 2006 के अनुसूचि 4 में उल्लेखित में जो प्रावधान है लोक सुनवाई की प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोक सुनवाई को रोक दिया गया और फिर सम्पुर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुये फिर प्रक्रिया जारी किया जाये, इसलिये आज की तारीख में इसे रोक दिया जाये, नही तो हम न्यायालय में जायेंगे इस परियोजना के प्रशासक के खिलाफ में पर्यावरण अधिकारी के खिलाफ में और जिला प्रशासन के खिलाफ इस अनुसूची में यह प्रावधान है कि लोक सुनवाई उसी स्थल या परियोजना के

निकट स्थल पर होना चाहिए। परियोजना स्थल अगर औद्योगिक पार्क पूंजीपथरा है तो उसके निकट उसके जो गांव है पूंजीपथरा और उसका पंचायत मुख्यालय सामारूमा है और जो जनसुनवाई आप जो करा रहे है 3 कि.मी. दूर बंजारी मंदिर के पास जो तराईमाल पंचायत में आता है यह कैसा न्याय है, कैसा पक्षपात है। किस नियम के तहत् आप लोग कर रहे है बताईये जनता के साथ कानून के साथ भी धोखा है। प्रावधानों के साथ भी धोखा है। पर्यावरण कानून की धज्जिया उड़ा रहे है आप लोग और एक बात हम बता रहे है कि लोक सुनवाई 45 दिन के अंदर होनी चाहिए जब परियोजना प्रसाशक आवेदन जिस दिन पर्यावरण विभाग रायपुर में आवेदन सौपता है और ई.आई.ए. रिपोर्ट सी.डी. सब दे देता है तो उसके 45 दिन के अंदर लोक सुनवाई के लिये पर्यावरण विभाग एवं विशेषज्ञ समिति को भेजना होता है। आप लोग 45 दिन से कही अधिक महीनो गुजर गया परन्तु आप लोग इस लोक सुनवाई को नहीं कराये और आप लोग देरी से करवा रहे है आप लोगो को लोक सुनरवाई करवाने का कोई अधिकार नहीं है। लोक सुनवाई 45 दिन में होना था। परियोजना प्रशासक के आवेदन के बाद और वो भी महिनों बाद किया जा रहा है। भारत सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा टी.ओ.आर. जारी किया जाता है। और उस टी.ओ.आर. में क्षेत्रीय पर्यावरण की स्थिति उद्योग की स्थिति, रहन–सहन तमाम चीजों को प्रदर्शित करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाया जाता है। तीन–चार महीना और 10 कि.मी. दायरे में अध्ययन करना होता है। परियोजना स्थल के 10 कि.मी. के दायरे में इन्होने जो अध्ययन किया है कंपनी ने जो अध्ययन कराया है वह नकली, फर्जी अध्ययन कराया है और ई.आई.ए. रिपोर्ट फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र में इस पूंजीपथरा औद्योगिक पार्क के 10 कि.मी. के चारो तरफ हाथियों का रहवास क्षेत्र है। हाथियों के आने जाने का गलियारा है और हाथी इस 10 कि.मी. क्षेत्र के 50 गावों में फसल को नुकसान भी करते है। आदिवासियों को यहा के रहने वालों को और मजदुर और किसानों को हाथियों के विचरण से आने–जाने से उनके लाखों रूपये का फसल को नुकसान हो रहा है। लोग मारे जा रहे है। उनका मकान तोड़े जा रहे है हाथियों से मगर हमारा प्रशासन चुप है। इन लोगो की रक्षा नही कर सकता इसके बावजुद इस क्षेत्र में फैक्ट्री का विस्तार हो रहा है। यह कैसा व्यवस्था है, परियोजना रिपोर्ट में, ई.आई.ए. रिपोर्ट में हाथि के रहने का हाथी के आवास की जानकारी नहीं दिया गया है। कहते है कि हम सुनते है यहा हाथी आना–जाना करते है। ऐसा हमे बताया है। हमारे रायगढ़ के अधिकारी वन मण्डल अधिकारी का भी पत्र है उन्होने स्पष्ट लिखा है इसका रिपोर्ट भी उन्होने प्रस्तुत किया है, परन्तु ई.आई.ए. के अध्ययन में इस बात को नहीं लाया है। उन्होने कहा है कि इस परियोजना विस्तार के 10 कि.मी. के दायरे में 4–6 संरक्षित एवं आरक्षित वन है और जहॉ पर हाथी बारहो महीने रहते है वहा पर आना–जाना भी करते है उसके बावजुद भी आप लोग ये जन सुनवाई कर रहे है और भारत सरकार के अधिकारी है और वन संरक्षक है उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, और उनकी रिपोर्ट इसमें लगना चाहिए इसमें नहीं लगा है। उन्होने कलेक्टर को पत्र लिखा इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्या परेशानी है, उन्होने बता दिया कि यहा पर कोई वाइल्ड लाईफ सेन्चुरी नहीं है अभ्यारण्य नहीं है लिख दिया। इस क्षेत्र के 3–4 कि.मी., 2 कि.मी., 1 कि.मी. के दायरे में है और इसके बावजुद इन्होने भारत सरकार के, फारेस्ट विभाग के रिपोर्ट का पालन नहीं किया है और वहा का पत्र नहीं लगाया है आपने कैसे जन सुनवाई करा दिया। और हम बताते है जनसुनवाई के पहले कंपनी से यह मांगा जाता है कि आप इस प्लांट के विस्तार के पहले आपने उर्जा विभाग की अनुमति ली है, आपने उद्योग विभाग से कन्सेंट लिया है क्या इन्होने कराया है उर्जा विभाग, उद्योग विभाग का नहीं कराया है और यह विरोध करने की चीज है। यह इलाका कोयला और खनिज क्षेत्र है। इस कंपनी के 10 कि.मी. के क्षेत्र में 10 कि.मी. के दायरे में कोयला भी निकलता है। इन्होने अपने 10 कि.मी. के दायरे के गॉव का भी उल्लेख नही किया है, तिलाईपाली में एन.टी.पी.सी. कोयला खदान प्रारम्भ हो रहा है, और भी है आप लोग जॉच नहीं किये है जिला प्रशासन को जॉच करना था कि इस प्लांट के 10 कि.मी. के दायरे में कोयला ही नहीं, चुना पत्थर, डोलोमाईट, क्वार्टज निकलता है। चोरी हो रहा है। इन्होने अपने परियोजना रिपोर्ट में बताया है कि हम भूमिगत जल का उपयोग करेंगे कारखाने में भूमिगत जल का उपयोग कैसे कर लोगे सरकार से अनुमति है आपको? केन्द्रीय भू–जल सर्वेक्षण से आपने लिया है जानकारी। अनुमति एप्रुवल लिया है छ.ग. के जल अथारिटी से लिया है। नहीं लिया हैं, हम लेंगे। लोक सुनवाई तभी होगी जब कन्सन परसन से लेकर आयेंगे। इसको नोट किया जाये। हम बताते है इन्होने कहॉ है कि हम लेंगे 2006 से इनका फैक्ट्री चल रहा है कहा से पानी ले रहे है? क्या सरकार से अनुमति है भू–जल का नहीं है, छापा मारो, बंद करों

इस फैक्ट्री को इस कंपनी ने केवल इन्होने औद्योगिक पार्क के 31 प्लांट का ही जिक्र किया है आपको मालुम है कि पूंजीपथरा औद्योगिक पार्क के बाहर भी फैक्ट्री है स्केनिया का बंजारी मंदिर के पास, तराईमाल क्षेत्र में 10 फैक्ट्री है इसका जिक्र नहीं किया है। पूंजीपथरा पार्क के पीछे सराईपाली में है, गेरवानी में है, देलारी में है यह 10 कि.मी. के दायरे में आता हैं इसका जिक्र इन्होने नहीं किया है। मैंने हिन्दी वाली रिपोर्ट को पुरा देख लिया है। इसका आपत्ति पर्यावरण विभाग और जिला प्रशासन क्यों नहीं करता। इसलिये हमारा यह अनुरोध था कि लोक सुनवाई के पहले आदरणीय पीठासीन अधिकारी को इसका अध्ययन करना था ई.आई.ए. रिपोर्ट का। अध्ययन नहीं किया है। इन्होने यह बताया है कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में और सरकार को लिख के दिया है पर्यावरण विभाग को कि 4350 पेड़ हरित पट्टी लगाया है जो सभी जीवित है, और जो पेड़ बड़े हो गये है 5 एकड़ में हमने वृक्षारोपण किया है बताया है। ये झुठी रिपोर्ट है यह दर्ज किया जाये। मुश्किल से 200–300 पेड़ लगे होंगे। इनके प्लांट के 15 एकड़ के परिसर में 200, 300 पेड़ से ज्यादा नहीं है। और इन्होने 4500 का रिपोर्ट दिया है। 5 एकड़ के हरित पट्टि बनाने का जो नियम है उसका इन्होने पालन नहीं किया है। जिंदल औद्योगिक पार्क में 500–550 एकड़ जमीन है उसके एक तिहाई 182–183 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण करते तो उसमें हरियाली होता, तो डस्ट आस–पास के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में नहीं जाता। उसका भी इन्होने पालन नहीं किया है। इन्होने अपने रिपोर्ट में बताया है कि हमारा अस्पताल है। जिंदल औद्योगिक पार्क में एक भी अस्पताल नहीं है। पार्क के बाहर ट्रामा सेन्टर बनाया है, तो क्या दुर्घटना में आहत होने के लिये ट्रामा सेन्टर बनाया है क्या? यहा फैक्ट्री के अन्दर एक भी अस्पताल नहीं और जिंदल का भी नहीं है। हो सकता है अधिकारी डर से अपने–अपने अलमारियों में फस्टएड बाक्स रखे होंगे। उससे मजदूरों का कोई लाभ नहीं है। बताईये कोई सुविधा है इनके पास। अस्पताल है झुठ बोलते है, ये आदिवासी लोगों के साथ धोखा है। इस आदिवासी अंचल के साथ धोखा है। ये लिखते है कि यह औद्योगिक पार्क है इसलिये इसका प्रभाव बाहर नहीं पड़ेगा। कोई अधिग्रहण नहीं हो रहा है। तो 10 कि.मी. दायरे का अध्ययन क्यों किया गया? इस औद्योगिक पार्क के फैक्ट्रियों का काला धुआ प्रदूषित जल और ठोस अपशिष्ट बाहर जा रहा है। इस आदिवासी क्षेत्र के जल जंगल जमीन को नुकशान कर रहा है। इनके खेतो में जा रहा है। 10 कि.मी. के दायरों में। आदिवासी क्षेत्र है पेशा कानुन लागु है। पाचवीं अनुसूची जो भारत के संविधान में दर्ज है उसके प्रावधान यहा प्रभावशील है फिर उसके बाद ग्राम सभा की अनुमति सहमति क्यों नही ली गई। और ये इनका कहना है कि इण्डस्ट्रीयल पार्क के लिये ग्रामसभा की अनुमति की जरूरत नहीं हैं। इण्डस्ट्रीय पार्क को जमीन किसने दिया, पूंजीपथरा ने दिया, तुमीडीह ने दिया, सामारूमा ग्रामपंचायत के लोगो नें दिया, आदिवासियों ने दिया। फिर उनके जीवन से खिलवाड़ क्यों करते है आप लोग, फिर उस गांव की सहमति अनापत्ति क्यों नहीं ली गई इसलिये पूरे गांव के लोग परेशान है। इस इण्डस्ट्रीय पार्क से इसलिये इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। इसलिये इन्होने कह दिया कि ग्रामसभा की अनुमति की जरूरत नहीं है इण्डस्ट्रीय पार्क में हमारा विरोध, हमारा आपत्ति दर्ज किया जाये की ग्रामसभा की न तो सहमति है और न अनापत्ति है। इन्होने कहा कि हम जिंदल से बिजली लेंगे क्या इन्होने आपको लिख के दिया है नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है इन्होंने जिंदल से इन्होने अपना प्लांट चला रहे है 2004–05 से तो किससे बिजली ले रहे है। न होम कन्सन है न एग्रिमेंट है क्या अभी जो विस्तार हो रहा है उसका 7.5 मेगावाट जिंदल से लेंगे। एग्रिमेंट दिखाओं हमको। 7.5 मेगावाट जिंदल से लेगा। और बोलते है जे.एस.पी.एल. से लेंगे जिंदल को कैप्टिव पॉवर जनरेट करने का अधिकार दिया गया है बेचने का अधिकार नहीं दिया गया हैं। हम देखते है जिंदल, जे.एस.पी.एल. कितने लोगो को बेचता है इसकी भी जॉच कराई जाये। पर्यावरण विभाग से मेरी मांग है और आदरणीय ए.डी.एम. मैंडम से मेरी मांग है कि जिंदल जो बिजली बेच रहा है एग्रिमेंट कर रहा है उसकी जॉच करें। कोई कागजात नहीं और जनसुनवाई कराने के लिये हमारे पर्यावरण अधिकारी महोदय उतावले है। कैसा न्याय है आप बताईये कानून और न्याय के साथ जनसुनवाई निष्पक्षता के साथ होनी चहिए। परन्तु हम देख है कि यह जनसुनवाई पक्षपातपूर्ण हो रहा है। केवल फैक्ट्री को लाभ पहुंचाने के लिये। इन्होने कहा है कि विस्तार परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद 150 लोगो को नौकरी देंगें और उसके स्थानीय लोगो को लाभ होगा। अभी लिख के दें कितने लोगो को रोजगार दिया है। अगर जनरल मैनेजर से भी लेंगे तो एक आदमी को भी नौकरी नहीं दिया है। ये सूची होनी चाहिए। मैं 10 कि.मी. के दायरे में कितने गांव है लिख दिया। और किसान कौन सा उपज करते है ये लिख दिया, आपने कर्मचारियों की सूची नहीं दिया।

कर्मचारियों का स्थानिय निवास कहा है नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि पूंजीपथरा और तुमीडीह के किसानों के जमीन गये है इण्डस्ट्रीय पार्क को जमीन दिया है जिंदल औद्योगिक पार्क को उनको भी नौकरी नहीं दिया है जो नेता टाईप के होंगे, दलाली में लगे होंगे वैसे 2, 4, 5 लोगो को नौकरी दिया हैं जॉच करा लिजीए झुठ हो तो फासी लगा देना। कहीं बिलासपुर का आदमी, कही बलौदा बाजार का आदमी, कही रायगढ़ का आदमी, कही रायपुर का आदमी, उनको नौकरी में लिये कुछ लोगों को और ये भी हमारे ए.डी.एम. साहब जानते होंगे की ये हमारे मंत्री के सिफारिस के आदमी होंगे। गांव के आदमी जिनका जमीन गई है उनको नौकरी नहीं मिला है। तो 10 साल से अधिक हो गया फैक्ट्री चला रहे है अभी तक नहीं दिया तो और क्या देंगे। ये भी जॉच करना चाहिए कि इनका विस्तार परियोजना पूरा हो गया होगा। इसकी जॉच करनी चाहिए। कि सबमर्जड आर्क फर्नेस लगायेंगे और उसका चिमनी लगायेंगे। पहले से दो चिमनी है कितने प्रदूषण होते है। पर्यावरण विभाग नें कभी जॉच नहीं किया। दो फर्नेस का कितना सालिड वेस्ट निकलता है इन्होने बताया है कि रोज प्रतिदिन 70–80 टन सालिड वेस्ट निकलता है। जब 70–80 टन प्रतिदिन सालिड वेस्ट निकलता है तो उससे कितना धुआ निकलता होगा। कितना गंदा पानी देते होंगे ये क्षेत्र को इसका रिपोर्ट नहीं दिया है, और कितने लोगो को नौकरी देंगे जो गांव के आदिवासियों को नहीं दिया। कितने लोगों को नौकरी देंगे इसकी जानकारी पर्यावरण विभाग को लेनी चाहिए। इसका रिपोर्ट लेकर के जनसुनवाई कराना चाहिए। इन तमाम चीजों को इन्होने दर्ज नहीं किया है। और हमारा जिला प्रशासन इन लोगो को जानकारी भी नहीं मांगता। इन्होने अपने ई.आई.ए. रिपोर्ट में लिख दिया कि पर्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम से कम है। आप भी मान लिये 36–48 का रिपोर्ट दे दिये। और आपको बतादूं रायगढ़ का यह प्रदूषण पूंजीपथरा और तराईमाल के उद्योग फैलाते है। इस पूंजीपथरा क्षेत्र के 4–5 कि.मी. क्षेत्र में पर्यावरण विभाग ने अभी–अभी कार्यवाही की है। सिंघल इंटर प्राईजेस प्रा.लि., तराईमाल, बी.एस. स्पंज प्रा.लि., तराईमाल जहां आप जन सुनवाई कराने जा रहे है सेलेनो स्टील लिमिटेड, तराईमाल और स्केनिया स्टील लिमिटेड, पूंजीपथरा यह आपने कार्यवाही किया है ये पत्र आदरणीय ए.डी.एम. साहब को दें देंगे। और देखिये कितना प्रदूषण फैलाते है। 10 कि.मी. के दायरे में जो उद्योग है फिर आपने क्यों रिपोर्ट नहीं दिया। तो 10 कि.मी. के दायरे में जितने भी औद्योगिक परियोजनाये चल रहीं है इसका इन्होने रिपोर्ट नहीं दिया। और ये प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग है। फिर इस तिरूमाला बालाजी प्लांट को विस्तार के लिये कैसे अनुमति देंगे आप। इसको न्यायालय में हम लेकर जायेंगे। हम एम.डी.एम. साहब, पर्यावरण अधिकारी को कागज देना चाहते है आदरणीय महोदय को देंगे और इस लोक सुनवाई को स्थगित करेंगे। लोस सुनवाई स्थगित करने से प्रशासन छोटा नहीं हो जायेगा। अगर प्रावधानो का उल्लंघन हुआ है नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आप कभी भी जन सुनवाई को स्थगित कर सकते है। और आगे नये सिरे से प्रक्रिया को जारी कर सकते है। ऐसा प्रावधान भी है। अगर इन्होने मनमानी किया है, प्रावधानों का पालन नहीं किया है, और ई.आई.ए. अधिसूचना का उल्लंघन हो रहा है तो इसको रोका जाये नही ंतो हम न्यायालय भी जायेंगे। धन्यवाद

99. जमनी बाई, समारूमा, – समर्थन।
100. भगवती, समारूमा, – समर्थन।
101. सहोद्रा बाई, समारूमा, – समर्थन।
102. धनमति, तुमीडीह, समर्थन।
103. ननकी, समारूमा, – समर्थन।
104. डुबति, समारूमा, – समर्थन।
105. भोजकुमारी, समारूमा, – समर्थन।
106. द्रोपति, तुमीडीह, – समर्थन।
107. मोनिका, समारूमा, – समर्थन।
108. नीला, समारूमा, – समर्थन।
109. बिन्दु मांझी, तुमीडीह, – समर्थन।
110. सिंधी, तुमीडीह, – समर्थन।
111. अंजना, तुमीडीह, – समर्थन।
112. ललिता, तुमीडीह, – समर्थन।

113. सुनिता, तुमीडीह, – समर्थन।
114. जमुना, तुमीडीह, – समर्थन।
115. संजुक्ता, तुमीडीह, – समर्थन।
116. राजु तिर्की, तुमीडीह, – समर्थन।
117. मोहरबाई, तुमीडीह, – समर्थन।
118. संतोषी, समारूमा – समर्थन।
119. मीना , समारूमा – समर्थन।
120. रूकमनी, समारूमा – समर्थन।
121. रत्ना, समारूमा – समर्थन।
122. पुष्पा, समारूमा – समर्थन।
123. फुलमति, समारूमा – समर्थन।
124. चंदनी, पूंजीपथरा, – समर्थन।
125. हरकुमारी, पूंजीपथरा, – समर्थन।
126. कमला, पूंजीपथरा, – समर्थन।
127. बसंती, पूंजीपथरा, – समर्थन।
128. नानकुन, पूंजीपथरा, – समर्थन।
129. कुमारी बाई, पूंजीपथरा, – समर्थन।
130. कांति, पूंजीपथरा, – समर्थन।
131. उर्मिला, पूंजीपथरा, – समर्थन।
132. सविता, पूंजीपथरा, – समर्थन।
133. गुडडी, पूंजीपथरा, – समर्थन।
134. रचना, पूंजीपथरा, – समर्थन।
135. जगरमति, पूंजीपथरा, – समर्थन।
136. संतोषी, पूंजीपथरा, – समर्थन।
137. जेमाबाई, पूंजीपथरा, – समर्थन।
138. हेमबाई, पूंजीपथरा, – समर्थन।
139. सुशीला, पूंजीपथरा, – समर्थन।
140. शांति, तुमीडीह, – समर्थन।
141. रोशनी, पूंजीपथरा, – समर्थन।
142. हेमा, पूंजीपथरा, – समर्थन।
143. मीरा, तुमीडीह, – समर्थन।
144. राजकुमारी, तुमीडीह, – समर्थन।
145. रमावति, तुमीडीह, – समर्थन।
146. रामदुलारी, तुमीडीह, – समर्थन।
147. लखनमति, तुमीडीह, – समर्थन।
148. विमला, तुमीडीह, – समर्थन।
149. रामप्यारी, तुमीडीह, – समर्थन।
150. रतिलाल, तुमीडीह, – समर्थन।
151. ज्योति, तुमीडीह, – समर्थन।
152. भारती, तुमीडीह, – समर्थन।
153. जनकी, तुमीडीह, – समर्थन।
154. सुनाई, पूंजीपथरा, – समर्थन।
155. राजकुमार बाई, पूंजीपथरा, – समर्थन।
156. लक्ष्मिन, पूंजीपथरा, – समर्थन।
157. नमिता, पूंजीपथरा, – समर्थन।

158. समारी, पूंजीपथरा, – समर्थन।
159. मनयारो, पूंजीपथरा, – समर्थन।
160. रवनी, पूंजीपथरा, – समर्थन।
161. मांगो बाई, पूंजीपथरा, – समर्थन।
162. महेश्वरी, समारूमा – समर्थन।
163. सुनैना, पूंजीपथरा, – समर्थन।
164. भिगो, – दोगे की नही।
165. हेमलता, पूंजीपथरा, – समर्थन।
166. सुकवारो, तराईमाल – समर्थन।
167. जगमति, पूंजीपथरा, – समर्थन।
168. किरन, पूंजीपथरा, – समर्थन।
169. नर्मदा, तुमीडीह – समर्थन।
170. फुलमति, तुमीडीह – समर्थन।
171. पुष्पा, तुमीडीह – समर्थन।
172. सुमति मांझी, तुमीडीह – समर्थन।
173. दुर्गा, तुमीडीह – समर्थन।
174. मंगलाई, तुमीडीह – समर्थन।
175. हनुमति, पूंजीपथरा – समर्थन।
176. सरिता, पूंजीपथरा – समर्थन।
177. गनपति, पूंजीपथरा – समर्थन।
178. कौशल्या, पूंजीपथरा – समर्थन।
179. खुलासो, पूंजीपथरा – समर्थन।
180. पुष्पा, पूंजीपथरा – समर्थन।
181. बीरसिंह नगेश, रायगढ़ छ.ग. आदिवासी समाज अध्यक्ष – आज जो यह लोक सुनवाई हो रही हैं तिरूमाला बालाजी एलायज प्रा.लि. की तो इसमें मेरी आपत्ति है। यह कम्पनी जहा स्थापित है इसकी सुनवाई 3 कि.मी. के अंदर होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहा पर गरीब आदिवासी की संख्या ज्यादा है। अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन के विषय में पूरे गांव–गांव लोगों को समझाया जाता है। हर एक जगह जाकर बाथरूम बनाया गया है। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को प्रशासन जागरूक क्यों नहीं कर रही है। ये कंपनी स्थापित होने से किस तरह से लोगो को बीमारियां हो रही है, किस तरह से लोग बीमार हो रहे है, किस तरह से लोग यहॉ से उजर रहे है और बाहर की ओर पलायन कर रहे है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है पहले यहा के लोगों को जागरूक किया जाये कि इन आदिवासिया को कितना नुकसान है। ये जागरूकता लाने के बाद ही यहॉ पर जन सुनवाई होनी चाहिए। ये बिलकुल अवैधानिक तरीके से 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ये पर्यावरण विस्तार तिरूमाला बालाजी एलायज लिमिटेड के विस्तार की जो कार्यवाही हो रही है। यह पूरी तरह से संविधान के विरूद्ध है। प्रावधान यह है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये कंपनियां तो स्थापित हीं नहीं होना चाहिए। प्रावधान यह है। आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय रायगढ़ जिलें में सरकार ने कलेक्टर, एडिसनल कलेक्टर और बहुत बड़े–बड़े अधिकारियों को महिलाओं को यहा पर भेजा है। उनकी पूरी साधना होनी चाहिए। समाज के प्रति, आदिवासियों के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से उनको शासन ने भेजा है जो आप लोगो को काम करने के लिये उस दिशा में काम करना चाहिए। मै भाई बहिदार ने जो आपत्ति उठाया है उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हॅू और उन्होने जो अपने वक्तव्यों में जो कहा है मैं उस बात को पूरा दोहराता हॅू उन्होनें जो कहा है मैं पूरी तरह से समर्थन करता हॅू, और नियमतः यह सुनवाई को रोक देनी चाहिए, और इस क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से जागरूक करना चाहिए। उसके बाद ये सुनवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।
182. वरून साहू, तुमीडीह, – तिरूमाला बालाजी को समर्थन करता हॅू। मेरा अनुरोध तिरूमाला बालाजी के ई.डी साहब से है कि हमारे स्थानीय लड़के है हमको भी काम चाहिए। समर्थन हम सम्पूर्ण तरीके से करते है।

183. गिरधारी, तुमीडीह, – समर्थन।
184. पुनीराम, पूंजीपथरा – बालाजी में काम करथों में और पेंमेंट भी नहीं दे। आज चौथा महिना हो गे पैसा नी दे हे ।
185. श्यामचंद, तुमीडीह, – समर्थन।
186. मनोहर, तुमीडीह, – समर्थन।
187. टिकाराम, तुमीडीह, – समर्थन।
188. उमेश, तुमीडीह, – समर्थन।
189. अमरलाल, तुमीडीह, – समर्थन।
190. टिकेश्वर, तुमीडीह, – समर्थन।
191. जयलाल भोय, तुमीडीह, – समर्थन।
192. संतराम, तुमीडीह, – समर्थन।
193. कुंती, तराईमाल, – समर्थन।
194. प्यासो, तराईमाल, – समर्थन।
195. सुकमति, तराईमाल, – समर्थन।
196. उर्मिला, तराईमाल, – समर्थन।
197. रूखनी, तराईमाल, – समर्थन।
198. अरूना, तराईमाल, – समर्थन।
199. मनोजा, तुमीडीह – समर्थन।
200. कपुर, पडकीपहरी – समर्थन।
201. मुनु मांझी, – समर्थन।
202. किरन, गोढ़ी – समर्थन।
203. सविता, गोढ़ी – समर्थन।
204. चंचला, गोढ़ी – समर्थन।
205. सुरेश यादव, समारूमा – समर्थन।
206. नान प्रधान – स्थानीय लोागे को रोजगार मिले।
207. फिरतलाल, समारूमा – समर्थन।
208. उर्मिला, गोढ़ी – समर्थन।
209. मीना, तराईमाल – समर्थन।
210. मीनु, तराईमाल – समर्थन।
211. सोनकुवंर, तराईमाल – समर्थन।
212. मिली उरांव, तराईमाल – समर्थन।
213. सुशीला, तराईमाल – समर्थन।
214. प्रिती तिग्गा, तराईमाल – समर्थन।
215. विधाधर सिदार, 2005 संरपच, तुमीडीह, – यहां जो भी आ रहा है खाली समर्थन दे रहा हैं हम भी समर्थन देने आये है। हमारा जमीन, हमारा जायदात पूरा चला गया। आज तक हमारे गरीब स्तर के आदमी को क्यां कंपनी काम दिया, कोई नौकरी में लगाया है जो भी काम दिया है या कोयला फेकवाया है या कचरा फेकवाया है। हम लोग जमीन देकर कोयला नहीं फेक सकते। हमको रोजगार चाहिए हमारे युवा लड़के घुम रहे है हमको काम चाहिए। काम देने के बाद मैं भी कलेक्टर साहब को कहुंगा की हम गरीब को काम दे और बेरोजगार लड़का को काम में लगाये। धन्यवाद।
216. चमार सिंह, पूंजीपथरा – समर्थन।
217. हरिराम, पूंजीपथरा – समर्थन।
218. मनबहान, सुमड़ा, – समर्थन।
219. सुमित्रा, तराईमाल – समर्थन।
220. सुनिता, तराईमाल – समर्थन।
221. रमशिला, अमलीडिह – समर्थन।

222. कांति, – अमलीडिह – समर्थन।
223. सईतो, तराईमाल – समर्थन।
224. राम लाल, अमलीडिह – समर्थन।
225. मंगल सिंह, अमलीडिह – समर्थन।
226. पूरन यादव, समारूमा – समर्थन।
227. देवराज, समारूमा – समर्थन।
228. दुखीराम, समारूमा – समर्थन।
229. राधा सारर्थी तराईमाल – समर्थन।
230. अंजनी, तराईमाल – समर्थन।
231. लीलावति, तराईमाल – समर्थन।
232. केवरा, तराईमाल – समर्थन।
233. रजनी, पूंजीपथरा –समर्थन ।
234. स्वेता, पूंजीपथरा –समर्थन
235. दिनदयाल, समारूमा, – सब ला हाथी खा दे थे।
236. देवीराम, समारूमा – समर्थन।
237. चन्द्रभान, समारूमा – समर्थन।
238. गनेश, समारूमा – समर्थन।
239. सरीता, अमलीडिह – समर्थन।
240. आंचल, अमलीडिह – समर्थन।
241. दिलवति, अमलीडिह – समर्थन।
242. विमला, अमलीडिह – समर्थन।
243. तेजराम, समारूमा – समर्थन।
244. खगेश, समारूमा – समर्थन।
245. पवन, अमलीडिह – समर्थन।
246. सावित्री, अमलीडिह – समर्थन।
247. सहोद्रा, अमलीडिह – समर्थन।
248. कलावति, अमलीडिह – समर्थन।
249. टीकामति, अमलीडिह – समर्थन।
250. बंसती, अमलीडिह – समर्थन।
251. प्रमिला, तुमीडीह, – समर्थन।
252. वरत, तुमीडीह, – समर्थन।
253. सविता रथ, सदस्य जन चेतना मंच, रायगढ़ – उपस्थित सभी अधिकारी, मैं मेसर्स तिरूमाला बालाजी एलायज प्राईवेट लिमिटेड इस जनसुनवाई का मैं निम्न बिन्दुओं में विरोध कर रहीं हूॅ इसके पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के और सामाजिक आंकलन को लेके। आदरणीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार फेरो एलायज की ये जो उत्पादन इकाई जिसकी आप जनसुनवाई करवा रहे है इसके विस्तार के लिए इसको 45 दिन के अंदर जनसुनवाई को कर लेना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश ये जनसुनवाई नहीं हो पाती है तो यह जिला प्रशासन के हाथ में होता ही नहीं है, कि आप जनसुनवाई करवाये और आप अपने जिद के कारण इस जनसुनवाई को करवा रहे है जो अनुचित है और प्रथम बिन्दु के आधार पर तत्काल इस जनसुनवाई का निरस्त करवाया जाये मेरा यह पहला मांग है। दूसरा अभी मैं आपको यहॉ दो तरीके के मुद्दों पे आपका ध्यान इस जनुसनवाई के माध्यम से कराना चाहती हूॅ एक महिला होने के नाते यहॉ के पर्यावरण के मुद्दों पे पहले बात कर रहे है जिस तरह से इनका यह ई.आई.ए. देखा जाये अगर आप देख पा रही है कि अगर आप पढ़ी होंगी इस ई.आई.ए. को स्पष्ट लिखा है सिलिका जैसे क्षमता वाले 15 हजार वाले टी.पी.ए. के लिये इनको चाहिए, और पहले से ये फेरो एलायज रह चुका है और यह सिलिका जो सिलिकोसिस की सबसे महत्वपूर्ण खतरनाक बीमारी को जन्म देने वाली इकाई हैं और किस आधार पे आप जनसुनवाई करवा रहे है जब यहा के

स्वास्थ्य की जॉच आपने नहीं करवाया है। इस पूरे 10 कि.मी. के रेडियस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि दो सिलिका के क्रसिंग के उद्योग को ग्रामसभा के माध्यम से पेशा कानून के तहत् उपयोग करते हुये ग्रासभा से खत्म किया गया है केवल पर्यावरण विभाग ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं उद्योग विभाग द्वारा भी करवाया गया है कारण है गोल्डन रिफेक्ट्री एवं रेसनल रिफेकिट्री यहॉ पर सिलिका की पिसाई से अभी तक 25 महिलाओं की मौत सिलिकोसिस बीमारी से हो चुकी है। इस बात को मैं नहीं बल्कि श्रम विभाग के श्रम मंत्री श्री भैया लाल रजवाड़े द्वारा उन्हे तीन–तीन लाख मुआवजे देकर पुष्टि होता है कि क्षेत्र में सिलिकसिस जैसी भयानक बीमारी है और लाइलाज बीमारी है। इनके अगर ई.आई.ए. को देखे तो एक ही नजर में समझ आ जाता है कि इनके द्वारा कहा से यह पानी लेंगे कहॉ से ये क्या करेंगे तो ये ग्राउण्ड वाटर पानी ले रहे है मैडम ग्राण्उड वाटर पानी में पहला अधिकार यहॉ के किसानों एवं स्थानीय लोगो का है उद्योगों को ग्राउण्ड वाटर पानी लेकर उद्योग चलाने का अधिकार नहीं है यह पहला जनसुनवाई करवाकर इनको अनुमति दिया जा रहा है, इसलिये मेरी यह आपत्ति के कि इस जनसुनवाइ को तत्काल यहॉ खत्म किया जाये क्यों कि यहॉ न तो स्वतंत्र रूप से किसी एजेंसी से सामाजिक प्रभाव आकलन मतलब एस.आई.ए. सोशल इम्पेक्ट एसेशमेंट रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। क्या प्रभाव होगा क्या उस क्षेत्र के आंगन बाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों का, क्या होगा यहॉ के स्कूलों में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओं का और क्या होगा यहा के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्थापित, दुर्भाग्य है कि इस औद्योगिक पार्क के अंदर आप इंजिनियरिंग कॉलेज चला रहे है जो पूरी तरीके से अवैधानिक है वहा के बच्चो के भविष्य और स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे है यह मैं हैरान हूॅ कि उसमे बिलकुल भी उसमें जगह नहीं दिया गया है कि इन शिक्षण संस्थाओं के बच्चो के स्वास्थ्य एवं उनके भविष्य को लेके किसी भी प्रकार की कोई अध्ययन रिपोर्ट इसमें नहीं है। अब आते है क्यों विरोध हो रहा है इसके पीछे विरोध का कारण है वहा के पेय जल, यहा के पेय जल का जो वैज्ञानिक पी.एच.ई. विभाग से जो डेटा में जिस किस्म की बीमारी आ रही है यहा के कम से कम 10 कि.मी. के रेडियस में ये पूरी पेय जल की स्थिति को आकलन करना चाहिए था। जो मेसर्स तिरूमाला बालाजी एलायज के द्वारा किसी भी किसम की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। इतने सारे 30 उद्योग आप जहॉ बैठी है वहॉ 30 छोटे–बड़े उद्योग है ये दुनिया का ऐसा शायद पहला ग्रामपंचायत होगा जहा 30 उद्योग छोटे–बड़े लगे है जहॉ पे आस–पास में खेत है इसके अलावा देखा जाये तो इसके पीछे केलो नदी बह रही है जो पूरी तरीके से इनके प्रदूषण एवं फ्लाई ऐश से ढक चुकी है। केलो नदी को, केलो बांध को बिल्कुल भी इसमें नहीं नदी दिखाया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके अलावा 18 नाला और आस–पास के जो छोटे नाले है उनको पूर्ण तरीके से छिपाया गया है जो केलो नदी की सहायक श्रोत है इस पानी के उपयोग में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधि क्या होगा और बच्चो का क्या होगा, गर्भवति महिलाओं का क्या होगा शिशूमति महिलाये है यहा पे यहा के स्थानीय बी.एम.ओ. साहब की कोई रिपोर्ट लगी है कि क्या हो रहा है और क्या होगा। दूसरा जो न हीं तमनार बी.एम.ओ. साहब की रिपोर्ट इसमें लगा है कि वर्तमान स्थिति क्या है। यदि हम इसको विस्तार का जनसुनवाई होता है तो आप इनको अनुमति देते है तो कितने बड़े भयानक परिणाम होंगे इसका आकलन न हो पर्यावरण विभाग के पास है और न ही स्वास्थ्य विभाग के पास है, जिले के पास है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि न हमारे पैनल के सामने है आदरणीय मैं आपको बता दूॅ जिस तरीके से यहा 30 उद्योग धरा में चल रहे है कही भी किसी भी उद्योग के सामने कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, कि लोग स्वतंत्र रूप से स्पष्ट रूप से इसको वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण के आकलन को जान सके और न ही जिला प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि कोई प्रशिक्षण न प्रचार न प्रसार ताकि सरल भाषा में जैसे पर्यावरणीय मुद्दो को लोग जन समझा गया है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी जितनी भी महिलाए मेरे आगे अभी वो बोल रही थी उनको बिलकुल नहीं पता किस बात की जनसुनवाई हो रही है। ये मेरा सबसे बड़ा आपत्ति है। मेसर्स तिरूमाला बालाजी एलायज के द्वारा किसी किस्म की कोई समझ नहीं बनाई गई न ही जिला प्रशासन के द्वारा किया गया, भीड़ दिखाने के लिये चुनाव तंत्र को इस्तेमाल करते हुये आप जिसे बोलवा रहे है क्यो समर्थन कर रहे है क्यों विरोध कर रहे है इस बात की समझ हमारे महिला के पास नहीं है। नहीं पता की यह ई.आई.ए. की बात चल रही है पर्यावरण की बात चल रही है, यहॉ के सामाजिक आंकलन की बात चल रही है। किस आधार में हम बैठे है। किसको धोखा दे रहे है। आदरणीय अभी इसके अलावा यह देखा गया है इनके ई.आई.ए. में थाना पूंजीपथरा बिलकुल गायब है। उसके अंदर काम करने वाले लोग गायब है।

उनके अंदर जो स्वास्थ्य की जॉच होनी चाहिए वो रिपोर्ट गायब है और क्या चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाये तो इनके उत्पादन की पद्धति देखिये जरा ये बोलते है कि क्वार्डज लायेंगे और क्वार्डज को ये खुले ट्रको में लेकर आयेंगे। ये क्वार्डज को पीस के सिलिका करेंगे। मतलब फिर सिलिकोसिस जैसी बीमारी को यहा उत्पादन करेंगे। आदरणीय यह पूरा क्षेत्र अनुसूची 5 क्षेत्र के तहत् आता है। 10 कि.मी. रेडियस के तमाम ग्रामसभा से सबसे पहले व्यापक पैमाने पे प्रचार–प्रसार उद्योग तिरूमाला को करना चाहिए था ग्रामसभा के प्रस्ताव को लाना चाहिए था। अनूसूचि 5 के तहत् उस ग्रामसभा की अध्यक्षता कोई आदिवासी गॉव का बुजूर्ग, महिला या पुरूष करता उसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी होती यहॉ एक तिहाई लोगो के विचार होते इसमें कम से कम 80 प्रतिशत लोगो के इस जनसुनवाई की समर्थन होती तो यह जनसुनवाई को आप करते, इसी कारण यह जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करें, और इसके बाद इसके पूर्ण रूप व्यापक पैमाने में सामाजिक एवं वैज्ञानिक आधारों को दोबारा जॉच किया जाये इसके साथ ही इस जनसुनवाई को किया जाये, अन्यथा यह जनसुनवाई के विस्तार 15 एकड़ में और होना है और हजारों लोगों की जान को यह जाने वाले का क्यों कि मैं यह बार–बार बोल रही हूॅ कि ये फेरो सिलिको जो है उसमें हमारे अभी तक पूरे छ.ग. में कोई विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट अभी तक जॉच आकरके नहीं करवाई है कि सिलिका जैसी बिमारी का कोई डॉक्टर यहॉ नहीं है कोई टीम नहीं है। आपके खाद्ध सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु इसमें प्रभावित हो रहे है किस आधार पे ये जनसुनवाई रखा गया है। हैरानी की बात है कि ये कौन विशेषज्ञ दल थे जो ई.आई.ए. बनाया है भाई, है क्या अंदर में, कोई आयेगा। देखिये यह आपकी बनाई नमूना है। सर्म आति है कि मुझे और यह भी सर्म आती है मुझे दुबारा यहा आकर के चीख–चीख के दुबारा कहना पड़ रहा है जिला प्रशासन को और दुर्भाग्य हमारा है कि आप यहॉ पे बैठ के सुन रहे है तत्काल इसको निरस्त करना आपके अधिकार क्षेत्र में है मैडम इसको सबसे पहले इस ई.आई.ए. को पड़ने के लिये लोगो को इजाजद मिलनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, और आ जाते है। अब आते है यहॉ रोजगार, क्या दे रहे है ये रोजगार 25 लोगो को नौकरी जितने मेरे पीछे बेरोजगार भाई–साथी लोग सुन लिजीये ये केवल 25 लोगो को रोजगार दे रहे है। जिसमें 5 लोग कुशल मतलब विशेषज्ञ रखेंगे वो कौन होगा, कहा का विशेषज्ञ होगा यह क्लियर नहीं है और जो 20 लोग है वह अकुशल मजदूर श्रमिक रखेंगे। आपको रोजगार के नाम से ठगा जा रहा है। कोई कंपनी के अंदर नौकरी नहीं मिलेगा। हालांकि इन्होने बड़ी बेसरमि के साथ यह जरूर स्वीकार है कि 150 लोगो को स्वरोजगार मतलब सब्जी–भाजी, दुसरे के घर में बरतन मांजके इनके आफिसरों के। हमारी महिलाओं के केवल 150 रोजगार ये दे पायेंगे तो आप क्यों 175 लोगो के रोजगार की बात को करते हुये ये जनसुनवाई को इतने बड़े पर्यावरणीय चीजों को आप इनको स्वीकृति दे रहे है। हैरान हूॅ मैं कि ये बार–बार हमे यह बताना पड़ रहा है कोर्ट जाना पड़ रहा है, एन.जी.टी. जाना पड़ रहा है आपके इस लापरवाही से। इसके अलावा आपके यह ई.आई.ए. बोलते है कि इनके क्षेत्र में हाथी जैसा कोई जीव नहीं है। पूंजीपथरा के सारे जो डेटा यहा के जो वन विभाग तमनार और वन विभाग घरघोड़ा का जो आप आकलन उठा के देख लिजिए कितना झुठ बोलेंगे और कितने दिन तक झुठ बोलेंगे। यहा सैकड़ो ऐसे हाथियों के फसल नुकसान के केस वन विभाग में दर्ज हैं, जो इसमें पुरी तरह गायब है। वहीं यहा पे लगभग 15 से 20 लोगो के मौत के आकड़े है जिसका मुआवजा दिया है। आस–पास पुरे क्षेत्र को हाथी रहवास क्षेत्र घोषित किया गया है। और जहा ऐसे बड़े जीव रहते है वहा के 20 कि.मी. के रेडियस के किसी भी किस्म के उद्योग या खनन जैसे कोई भी कंपनी को लगाना सर्वथा अनुचित है यह आपका कानून कहता है। चाहे आप वन जीव कानून देख लीजिए 1980 का या उद्योग कानुन देख लीजिए। इसके अलावा आदरणीय मैं आपको बता दूं कि यहा के जो महिला रोजगार की बात। आदरणीय मैं आप को बता दूॅ कि यहा के जो सी.एस.आर. की बात है, सी.एस.आर. में किसी किस्म की कोई नहीं मिला है इसके अलावा आपको बता दूॅ कि महिला रोजगार जो है। कही भी महिला रोजगार की बात इस उद्योग ने नहीं किया है कि इन्हे इनकी सारी चीजे स्वास्थ्य इनका खद्य सुरक्षा इतनी तमाम चीजे जल–जंगल, जमीन, गांव इनके पशु सब लेके क्या इन्हे स्थाई रोजगार दिया नहीं जाना चाहिए था, क्या वह स्पष्ट नहीं था, क्या बराबर का अधिकार इसमें नहीं दिया था तो इसमें किसी भी किस्म के महिलाओं वाले मुद्दे पुरी तरह से नकारा गया है। अतः आपसे निवेदन है यह जनसुनवाई इन तमाम बिन्दुओ के आधार पे इसको निरस्त किया जाये और यह तत्काल आप इस जनसुनवाई को खत्म कर दिया जाये यह

हमारा अपील है। इतना मेरा बात रखना था आप सब के बीच में, सामाजिक प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय आकलन। आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

254. हलधर पटेल, पूंजीपथरा – कंपनी का समर्थन करता हूॅ और कहना चाहता हूॅ हमारे पूंजीपथरा में जब से काई कंपनी आया हुआ है उसमें हमारा आर्थिक स्थति बहुत मजबुत हुआ है, ओर हम लोग उससे खुश है ओर मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूॅ। धन्यवाद।

255. बबलु , पंजीपथरा – जब से प्लांट लगा है रोजी–रोजगार चल रहा है सारे चीज की सुविधा यहा ठीक है और मैं इसका समर्थन करता हूॅ।

256. उद्यम यादव, सामारूमा – मैं तिरूमाला बालाजी का समर्थन करता हूॅ।

257. श्याम यादव , समारूमा – समर्थन।

258. संतोष कुमार यादव, सामारूमा – समर्थन।

259. राजेश चौहान, समारूमा – समर्थन।

260. परसराम, पूंजीपथरा, – हमर पुरा गाव के जमीन सब ला दे डारही अउ हमन ला इसे कहिस हमन ओला बुआ कबो, ऐसे कहिस बोल मा बंजारी की जय।

261. कवीता नायडु, तराईमाल – नलवा स्टील प्लांट को समर्थन। बालाजी प्लांट को समर्थन करता हूॅ।

262. किरन शर्मा, मितानीन, तराईमाल – मैं दो–चार शब्द तो बोलुंगी क्यों कि मेरा बंजारी से लेकर मॉ पावन धाम जहॉ से तराईमाल जो हर कोई आते है माथा ठेकने मंदिर पर वहॉ से देखिए आपको दिखता ही होगा उसका यहॉ से इतना प्रदूषण हो रहा है हमारे तराईमाल में रहने के लिए हम लोगो को एकदम बहुत मुश्किल हो गया है सो के उठते है जब खखारते है तो खखार के काला–काला डस्ट निकलता है लेकिन कोई प्लांट वाला न एक दिन, एक महिना में कम से कम एक बार भी वहा कैंप लगाया जाये वहा जॉच कराया जाये मैं मगर गरीब आदमी टी.वी बीमारी से ग्रसित मेरे पास 60 टी.वी. केस है जो मैं अभी उसको स्वास्थ्य विभाग में जॉच करवाई हूॅ अभी टी.वी. का दवा चल रहा है। उन लोग दवा खा लिये है फिर भी उसको हर चीज आयरन की मात्रा नहीं मिल पा रही है, कमजोरी है उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है काम–काज करने वाला नहीं है तो गरीब कहॉ जायेगा मैम। तो इसको प्लांट वाला को मैं विरोध नहीं करूॅगी उनसे मैं समर्थन ही लूंगी लेकिन मैं दो–चार शब्द कहुंगी कलेक्टर मैम आप ध्यान से सुने मेरे बात को अभी गौ हत्या हुआ है सन्डे के दिन गाय का पेट झिल्ली में सब्जी का पालिथिन खा–खा के मर गया। चलाया था स्वास्थ्य अभियान लेकिन हमारे तराईमाल को देखिए स्वच्छता अभियान में एकदम पीछे है गेरवानी पीछे है पूंजीपथरा पीछे है बंजारी मंदिर के सामने में सब कोई शौच कर रहे है कहा से ये शौचालय आया, कहा से स्वच्छता आया, कहा से साफ–सुथरा आया। गरीब अगर 150, 200, 1200 का इलाज करायेगा तो गरीब कहा जायेगा। क्या चीज खायेगा। नलवा से लेकर सिंघल से लेकर यहा कई प्रकार की फैक्टरिया है कोई तो मेरे को एक भी इमानदारी से बता दे कि यहा कैंप लगाया जाता है और स्वास्थ्य का जॉच कराया जाता है। हमारे गांव का बल्कि एन.एल. मालाकार जी प्राईवेट डॉक्टर होते हुये भी 35 हजार रूपया का दवा मुफ्त में फ्री बाटा है लोगो को बुलाके। उस डॉक्टर को मैं सादर नमस्कार करती हूॅ जो प्राईवेट डॉक्टर हमारे यहा इलाज कराया है। मेरे साथ में दवा वितरण करता है। बीमारी का हाल–चाल जाना वो कौन होता है अपनी गरीब मॉ का भी एक बेटा है जो अपने बलबुते से खड़ा होकर आज हमारे गांव में कम से कम 40–45 आदमी का फ्री में इलाज किया सर मैं उस आदमी को नमन करूंगी। आपको कलेक्टर बनाया गया है सर आपको हमारे दुःख, दरीद्र में साथ देने के लिए आई.पी.एस. का पढ़ाई किये हो क्योंकि आप हमारे दुःख, दरीद्र में शामिल रहेंगे सर। मै मितानिन हूॅ स्वास्थ्य सेवा मेरा काम है। किसी से रिशवत लेना मेरा काम नहीं है। मैं जो काम करती अपने सिद्धांत पूर्वक करती हूॅ, और हमारे गांव में किसी के ऊपर आंच आये मैं बर्दास्त नहीं करूंगी। मैं किसी को इकरान नहीं करूंगी सबको समर्थन करूंगी लेकिन अपने–अपने विभाग का जितना प्लांट वाले है कम से कम एक कचरा दान बना दे, कहीं पर एक टंकी बना दे, कही पर लाईट लगवा दे, किसी गरीब के यहा लाईट लगवा दे, किसी गरीब का मकान बनवा दें तब जाकर हम उसको समर्थन देंगे। ये गलत नहीं है मैं उनके ऊपर विरोध नहीं कर रही हूॅ ये हकीकत बाते है मेरा भाई लोग, बंधु लोग, मेरे जनता भाई लोग जो है सबसे मैं उनसे विनती कर के बोल रही हूॅ मॉ बंजारी में बताईए कोई भी अपना एक ट्रेक्टर गिराया है क्या? कोई फैक्ट्री वाला ये मेरे को बताईए फ्री में। कोई भी जब मॉ को नहीं मान रहे है तो गांव के जनता को क्या खाक मानेंगे सर।

हमारे यहा के गरीब दुःखी लोग लकड़ी बेच कर अपना जिंदगी जी रहे है। कोई गरीब मर जा रहा है तो उसका लाश उठाने के लिए कोई सामने नहीं आता है। बताईए जब हमारे गांव में जनसुनवाई हो रहा है तो हम लोगो से भी मुलाकात करना चाहिए सर, पुछते मितानीन लोग से भी कि क्या दुःख है क्या दरीद्र है यहॉ पर स्कूल है कि नहीं है, किसके घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उसका मजबुरी क्या है। आप आपसे हमारा नशीब देखिये की जनसुनवाई हुआ और हम आप से मुलाकात किये नहीं तो हमको रायगढ़ जाना पड़ता आवेदन लिख के वहा पर पेश करते सुनाई होता तो होता नहीं तो नहीं होता। विधवा मॉ लोगों का पेंशन रूका हुआ है सर वो भी अभी उसको नहीं मिला है। मेरा को रास्ता चलते हूँ तो विधवा पेंशन के लिए बोलते है। बच्चों में टी.वी. हो जा रहा है और इतना प्रदूषण रात को छोड़ देते है सर मैं तिरूपति बालाजी को ही नहीं बोल रही हूँ यहॉ के जितने भी प्लांट वाले है सबको बोल रही हूँ कि थोड़ा अपना जो डस्ट उड़ रहा है उसमें थोड़ा ध्यान देते हुये यहा से कम से कम पानी मरवाते। पानी मरवाते तो यह प्रदूषण उतना नहीं जाता खाने–पीने सब सामान में डस्ट उड़ कर एकदम सामने आ गया है और उसको खा रहे है जो सोके उठ रहा है खखार कर रहा है तो उसमें काला–काला निकल रहा है। जब मेरा रोजी 100 रूपया है तो मैं 1000, 1500 का दवा कहा से खाऊंगी। ऐसे हमारे गांव में टी.वी. का कितना न कितना केस है सर हर कोई को टी.वी. हो गया है। जब आप जिला प्रशासन खामोस रहेंगे तब हमारे जनता का क्या होगा। हमारे कलेक्टर मैडम जब आवाज नहीं उठायेंगी, हमारा साथ नहीं देंगी तो फिर हम लोग किसके पास जायेंगे, हमारे मंत्री तो कलेक्टर महोदय जी है, और हम तो एक जनता है, हम कलेक्टर महोदय को ही अपना दुःख सुनायेंगे। अभी मैं यहा खड़ी हूँ जो भी पत्रकार भाई मेरा बात को सही मानना चाहते है तो तराईमाल में जाइये बंगाली ठेला में देखिये एक गाय वहा अभी भी मरा पड़ा हुआ है। तो आदमी का क्या हाल होता होगा गाय प्लास्टिक सब खाकर गाय लोग मर रहे है और बोल रहे है कि गौ हत्या बंद करों–बंद करो। तो यहॉ इतने आदमी लोग आये है प्लास्टिक में भर–भर के साग–सब्जी का थैला को रख दे रहे है, वहॉ खा–खाके गाय मर जा रहे है, आदमी को नुकसान पहुॅच रहा है। अरे भाई आप लोग बड़े–बड़े उद्योग किये हो बनाओ, कमाओ, अधिक से अधिक कमाओ लेकिन जनता के सुरक्षित करते हुये जो गरीब दुःखी का साथ देगा, दुःख सुख में उसका भागीदारी होगा वही आदमी कमायेगा। क्योंकि हर गरीब के घर में जाकर देखो आप लोग पैसे वाले हो आप को क्या हवा लगता होगा, हम गरीब है आज कमाते है तो कल ऐसे ही पड़े रहते है। हम गरीब से मुलाकात करते है हम जानते है कि गरीब के यहा क्योंकि हम भी एक गरीब है। मैं मितानीन हूँ मैं गॉव की सेवा करती हूँ, सब के घर–घर में जाकर पुंछती हूँ क्या परेशानी है क्या नहीं, तो कितना–कितना मुश्किल पड़ जाता है। मैं समर्थन करूंगी, मेरे साथ में जो महिला है सब समर्थन करेंगे लेकिन हमारे गॉव में कोई एक ठो बनाया है कुड़ा दान का पेटी बना देता, लाईट लगवा देता, कहीं मंच बनवा देता यह अपना कोई काम नहीं करते है सर, सब खामोश से खामोश बैठे रहते है। कम से कम बंजारी मॉ से तराईमाल तक तो टैंकर से पानी मार देते ताकि मॉ को भी प्रदूषण खाना पड़ रहा है, देवी मॉ का बंजारी मंदिर काला पड़ गया है, हमारे घर का खप्पर, छानी सब काला पड़ गया है। कलेक्टर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे गांव तराईमाल में आईये और एक दिन हम लोगो के साथ बैठ के खाना खाइए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मै स्वास्थ्य मितानीन हूँ आपको वहा कुछ नहीं दूंगी मैं जो खाऊंगी आप को वही खिलाऊंगी आप आयेंगी क्या? आज आपको वादा करना पड़ेगा मेरे गांव का डस्ट देखने आपको आना पड़ेगा, मेरे गांव के आदमी लोग का हाल–चाल, मैं आपको उस दिन भी गई थी तो बोली थी कि मैम आईए न मेरे यहा तराईमाल के कहकर बोली थी आपको, जब रायगढ़ गयी थी तो फुलवारी केन्द्र का रिपोर्टिंग लेकर के, तो मैं बालाजी फैक्ट्री को समर्थन दूंगी और सब कोई फैक्ट्री वाले गांव के दुःख–सुख में भागीदारी बने और जाने बुजुर्ग लोगो का किसके पास कपड़ा नहीं है, किसके पास कंबल नहीं है, कम से कम दो–चार कंबल बॉट देते किसी बुजुर्ग को 100, 150 का खाना खिला देते। उन लोग रोजी खाते है तो कम से कम एक दिन तो उस बुजुर्ग को खाना खिला देता अच्छा कपड़ा कोई दान दिया होता बताओं ना हम पैसा के पीछे इतना बेसरम बन गये है कि पुछिये मत की पैसा के पीछे भाग रहे है–भाग रहे है। कोई अच्छा काम करना है तो गौ माता के लिये व्यवस्था कर दिया जाये। नदी का पानी साफ करवा दिया जाये, घर–घर में नल दिया जाये, शौचालय का उपयोग करने के लिये बोले तो उसके लिए हर घर में नल दिया जाये। गली में लाईट नहीं जलता है मैम अंधेरा रहता है बच्चों को अच्छा स्कूल में पहुचाने के लिए गरीब घर का चाहे लड़का या लड़की को देखे है

क्या, बच्चा या बच्ची को विदेश में जाकर करोड़पति के द्वारा से जाकर पढ़े है करके। मेरे मॉ, बहन लोग मेरे को यही बोलते है गांव में जब घुमती हूॅ तो सब कोई कि दीदी देखो ना ऐसा–ऐसा परेशानी है हमारे यहा करके। कोई स्कूल में कोई बाटे है कोई आज तक किशोरी बालिका से पूंछे, स्कूल में जाकर कम से कम दो जोड़ी पेंट–सर्ट कम से कम दे देते, पेन–कापी देदे, ये चीज कहॉ गया हम लोग कमा रहे है तो 100 रूपये का कापी–पुस्तक खरीद रहे है, 40 रूपया 80 रूपया के.जी. का हम खा रहे है गरीब आदमी तो फिर हम लोग कहॉ से लायेंगे इतना रूपया, पैसा कि हम अपने बच्चे को कलेक्टर बनायेंगे, की प्रधानमंत्री बनायेंगे कि, हम अपने बच्चे को बड़े से बड़ा सपना दिखाने की कोशिस करेंगे बताइये ना हम तो इतना कमजोर है हमारा जीवन भगवान लिख दिया था 80, 85 वर्ष का लेकिन तराईमाल के आकर मै खुद एक मितानीन हूॅ बोलती हूॅ कि तराईमाल में मुझे रहने का कोई शौक नहीं है। क्योंकि तराईमाल में इतना प्रदूषण मैं अपने परिवार को जहर खिलाकर मारने को तैयार हूॅ लेकिन न वहा पे डस्ट खा कर रहने को तैयार नहीं हूॅ मैम, आप भी एक लेडिस कलेक्टर हो, हमारे यहा पर आये हो तो आप को मैं विनती करती हूॅ कि थोड़ा आप प्रदूषण को रोकने की कृपा करें, कलेक्टर मैम जी मैं आपको बोल रही हूॅ मेरे गांव का प्रदूषण थोड़ा कम करवाईए मैम बाकी कमाने–खाने में किसी को दिक्कत नहीं है लेकिन हर चीज का कोई साग–सब्जी लगा रहे है, साग–सब्जी नहीं होता है तो कोई और कुछ लगा रहे है तो नहीं होता है सब हम खरीद के ही खा रहे है मैं तिरूपति बालाजी को समर्थन करती हूॅ मेरे महिला लोग भी है 34 महिला वो भी समर्थन देंगे। लेकिन तराईमाल में कुछ अच्छा काम कीजिए ओर तराईमाल में आकर कचड़ा–वचड़ा का साफ–सफाई दो आदमी लगा दे काम करने वाला तो हमारा गांव बीमारी से मुक्त हो सकता है। दो आदमी को दे दे नाला आदि साफ करने के लिए नाली, झाड़ु करने के लिये तो मैं बहुत–बहुत धन्यवाद हूॅ।

263. तवस्वनी, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
264. लक्ष्मीन, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
265. इंद्रा, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
266. निशा, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
267. सुनीता, तराईमाल – समर्थन।
268. प्रेमलाल, तुमीडीह, – समर्थन।
269. करमसिंह, तुमीडीह, – समर्थन।
270. लक्की, तुमीडीह, – समर्थन।
271. दीपक, तुमीडीह, – समर्थन।
272. राजकुमारी, तराईमाल – समर्थन।
273. मधु, तराईमाल – समर्थन।
274. चम्पा, तराईमाल – समर्थन।
275. चन्द्रवति, तराईमाल – समर्थन।
276. कांति, तराईमाल – समर्थन।
277. सेवाबाई, तराईमाल – समर्थन।
278. नान्हीबाई, तराईमाल – समर्थन।
279. मनबोध, तुमीडीह, – समर्थन।
280. समारू, तराईमाल – समर्थन।
281. गणेश, तराईमाल – समर्थन।
282. रामकुमार, तराईमाल – समर्थन।
283. रचना, पूंजीपथरा– समर्थन।
284. लक्ष्मी, पूंजीपथरा– समर्थन।
285. रत्नी, पूंजीपथरा– समर्थन।
286. सुरूची, पूंजीपथरा– समर्थन।
287. हेतकुमार, तुमीडीह, – समर्थन।
288. जगदीश, तुमीडीह, – समर्थन।
289. भुनेश्वर, तुमीडीह, – समर्थन।

290. बबलु, तराईमाल – समर्थन।
291. कृष्णकांत, पंजीपथरा, – समर्थन।
292. रामप्यारी, पूंजीपथरा– बालाजी का विरोध।
293. केकती, तराईमाल– समर्थन।
294. ज्योति, तराईमाल– समर्थन।
295. ज्योति तराईमाल– समर्थन।
296. करधा, तराईमाल– समर्थन।
297. तेजकुमारी, तराईमाल– समर्थन।
298. कलावती, तराईमाल– समर्थन।
299. सुखराम, तुमीडीह, – समर्थन।
300. जगत, तुमीडीह, – समर्थन। मां बंजारी मंदिर काला हो रहा उसे साफ करें।
301. रामदास, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
302. रविदास पुंजीपथरा, – समर्थन ।
303. नितेश, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
304. गुरूदयाल मालाकार, तुमीडीह, – समर्थन।
305. तोषकुमार, बड़गांव – समर्थन।
306. हेमप्रसाद, तुमीडीह, – समर्थन।
307. अनिल मालाकार, बड़गांव – समर्थन।
308. ललित, लैलुंगा – समर्थन।
309. सुखराम, तराईमाल– समर्थन।
310. राज, तराईमाल– समर्थन।
311. राजु, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
312. अजय, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
313. सेख खान, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
314. करन, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
315. रवि, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
316. अमित, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
317. राकेश, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
318. अनिल बेक, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
319. कलिन्दर साय, पुंजीपथरा, – 11 साल से काम करता हूं। समर्थन।
320. जगतराम, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
321. धोबीराम, पुंजीपथरा, – समर्थन ।
322. रमेश अग्रवाल, जन चेतना मंच, रायगढ़ – मैं रमेश अग्रवाल, जन चेतना मंच से मैडम थोड़ी सी सुविधा, व्यवस्था जनसुनवाई में ठीक हो जाती तो बोलने वालों को आसानी होती और सुचारू रूप से चलता हम लोगों ने बहुत सी जनसुनवाईयां अटैण्ड की है। लेकिन जो माहौल यहां रायगढ़ में दिखाई देता है लंबे–लंबे तार जाली और ये लाइने और सामने रखने के लिए कोई टेबल या व्यवस्था नहीं है की सामने आराम से अपनी बात रख सकें। लेकिन मुझे उम्मीद है मैं हर जनसुनवाई में अनुरोध करता जरूर हूं लेकिन आज तक यह हुआ नहीं है। मैडम सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आ रहा है? शायद शर्मा जी जानते होंगे की यह जो उद्योग है तिरूमाला बालाजी जिंदल इंण्डस्ट्रीयल पार्क में लगा हुआ है तो इण्डस्ट्रीयल पार्क जो है पहले तो उसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति होनी चाहिये ये नोटिफिकेशन में है ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 Environmental Clearance for a industrial park is a must from the Central Government तो क्या इस इण्डस्ट्रीयल पार्क की पर्यावरणीय स्वीकृति है या नहीं है लेकिन शायद शर्मा जी बता पायें क्योंकि मैने मिनिस्ट्री की वेबसाईट पर देखा मुझे कहीं मिला नहीं पूरा चेक किया वहां पर इनके इंवायरमेंट क्लीयरेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर शर्मा जी ने कंसेन्ट टू स्टेबलिस या कंसेन्ट टू ऑपरेट इशू किया हो तो हमारे आदरणीय पर्यावरण अधिकारी को जानकारी होगी। थोड़ा उसके ऊपर बता देंगे मैडम शुरूआत

यहीं से होती है अगर यदि यहां पर पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं है इण्डस्ट्रीयल स्टेट की तो उसमें अगर उद्योग स्थापित है और ऊपर से उसकी जनसुनवाई हो रही है तो इससे बड़ा मजाक नही हो सकता तो पहले तो यह मालूम चले की उसको पर्यावरणीय स्वीकृति है की नही है कैसे लगने दी वहां पे? कहा जाता उसको इण्डस्ट्रीयल स्टेट और इन्होने अपनी ई.आई.ए. में भी लिखा है कि नोटिफाइड इण्डस्ट्रीयल स्टेट है लेकिन मुझे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नही मिला शायद जो ई.आई.ए. बनाने वाले हमारे रेड्डी साहब शायद आये हैं क्या वो बता सकें। मैडम इसमें नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है की जिससे पता चले की यह नोटिफाइड इण्डस्ट्रीयल स्टेट है तो सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात यही है की क्या इण्डस्ट्रीयल पार्क की खुद की क्योंकि 500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है उसकी स्वयं की इंवायरमेंट क्लीयरेंस है की नहीं है अगर नहीं है तो कारवाई क्यों नही हुई आज से तो बना नहीं है तो ये जो क्षेत्राधिकार है ये जो हमारे छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का ये देखना की कोई भी उद्योग चाहे इण्डस्ट्रीयल पार्क हो या नही हो या की स्पंज आयरन उद्योग हो या इंवायरमेंट क्लीयरेंस लिया की अनुमति के बगैर स्थापित न हो। मेरी पहली जिम्मेदारी तो यही है की इस विषय पर कृपया ध्यान दें और शंका का समाधान भी कर दें। चूंकि ई. आई.ए. बनाने वाले ने नोटिफाइड लिखा है इसको जो है तो उनको बुलाया जाना चाहिए तो ज्यादा उचित होगा। शायद शर्मा जी के नॉलेज में अभी न हो पहले भी ये रायगढ़ में रहे हैं हो सकता है की उसके पहले का रहा हो। दूसरा मैडम इस ई.आई.ए. रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो ऐयर क्वालिटी टीओआर 6 के तहत् जो मॉनिटरिंग की है उसमें ये लिखते हैं की एंबियंट एयर क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टडी जोन ऑफ 10 किलोमीटर रेडियस एराउंड द प्लांट साईट फ्रोम द बेस लाईन इंफारमेशन द वेरियस सोर्सेश ऑफ ऐयर पॉल्यूशन इन द रिजन आर द वेहिकूलर ट्रेफिक डस्ट एराईजिंग, रोड्स एण्ड डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग यानी इस एरिया में जितना भी प्रदूषण है वो लोग जो घरों में लकड़ी का चुल्हा जलाते हैं उससे है जो वाहन चलते हैं उससे है जो कच्ची रोड है उससे है लेकिन एक भी उद्योग से पॉल्यूशन नहीं है। और हम लोग फालतू रोज धरना करते रहते हैं। अब तो हमारे नेता लोग भी बोलने लगे हैं की प्रदूषण बहूत ज्यादा है। पर इण्डस्ट्रीज का नाम नहीं है, ऐसा क्यों है? क्या इस एरिया में स्थापित 40 इण्डस्ट्रीज 40 से भी ज्यादा होंगी क्योंकि 30 तो अकेले इण्डस्ट्रीयल पार्क में ही है। इतने स्पंज आयरन प्लांट है इनका तो हाल ही मत पूछिये और फिर भी ये बोल रहे हैं की जो भी पॉल्यूशन है वो गांव में औरतें जो चुल्हा जला रही हैं उससे हो रहा है और कच्ची रोड के कारण हो रहा है। इण्डस्ट्रीयल पॉल्यूशन इस एरिया में नही है ये इनकी ई. आई.ए. रिपोर्ट बोलती है तो इसका जवाब भी मुझे जो है इनके कंसल्टेंट से चाहिये। मैडम मेरे ख्याल से उद्योग प्रतिनिधि को बुलाना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ ज्यादा बोलने को है नही कुछ ई.आई.ए. में मेरे को कंफ्यूजन है मैं केवल उनसे बस ऐ पूछना चाहता हूं। उद्योग प्रतिनिधि को बुलाया गया। रमेश अग्रवाल–ये जो नोटिफाईड एरिया लिखा है इण्डस्ट्रीयल स्टेट मैने आपकी पूरी ई.आई.ए. देखी। उद्योग प्रतिनिधि–इंवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं है इट्स नॉट देयर इंवायरमेंट क्लीयरेंस तो नहीं है। रमेश अग्रवाल–यह इण्डस्ट्रीयल पार्क एक नोटिफाईड एरिया में यह किसमें है? यदि यह नोटिफाईड इण्डस्ट्रीयल स्टेट है तो आप तो बहुत जानकार है मैं आपको क्या बताऊँ पर मुझे जहां तक पता है इण्डस्ट्रीयल पार्क में बहुत सारी फैसिलिटीस जैसे कॉमन इफ्लूयेंट ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट डिस्पोजल यार्ड ये बहुत सारी चीजें होनी चाहिये ये सारी चीजें सर आपने देखी क्या? यहां पे उद्योग प्रतिनिधि ने बताया की यहां वेस्ट डिस्पोजल यार्ड है। रमेश अग्रवाल–मैं दो दिन पहले 2–3 पत्रकारों को लेकर और पूरे इण्डस्ट्रीयल पार्क में घुमा हूं ऐसा कोई हजार्ड्स वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल यहां पे नहीं है। और है तो वो इण्डस्ट्रीयल पार्क के बाहर किसानों के खेतों में ऐसे वैसे डंप, पूरे इण्डस्ट्रीयल एरिया में ऐसा आइडेन्टिफाईड एरिया नही है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की मैं सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूं हजार्ड्स वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। रमेश अग्रवाल–मैं भी सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूं हजार्ड्स वेस्ट पर बाद में आऊंगा मैं सॉलिड का ही कर रहा हूं, वहां सॉलिड के लिए ही जगह नहीं है। आपने कहां से देख लिया उसको। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की आपको इण्डस्ट्रीयल पार्क की ले–आऊट जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क में दिख जायेगा। रमेश अग्रवाल–जिंदल पार्क का ले–आऊट जिंदल ने बनाया है हमारा ये कहना है की व्यक्तिगत रूप से हमारे पत्रकार साथी हम केवल यही जानने के लिए की आपने जब लिखा की जिंदल वेस्ट डिस्पोजल यार्ड है तब हमने कहा की हमने आज तक देखा ही नही तो वो वेस्ट डिस्पोजल यार्ड यहां पर है की नही मैं केवल आपसे यही जानना चाहता हूं। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की इण्डस्ट्रीयल

पार्क में वेस्ट डिस्पोजल यार्ड है, इण्डस्ट्रीयल स्टेट के अंदर में ही। रमेश अग्रवाल–आप जो बोल रहे हैं इसमें आप ही ने लिखा था इसमें फेरो क्रोम जनरेटेड विल बी फरदर प्रोसेस्ड इन प्लांट, नॉन क्रोम प्रोडक्ट्स विल बी सेन्ट टू डिस्पोजल यार्ड विद इन द स्टैगनेन्ट पार्ट वो हमको वहां पर दिखा नही है। और यदि वेस्ट डिस्पोजल यार्ड मान भी लिया जाये तो फेरो क्रोम से जो निकलता है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की फेरो क्रोम के स्लेग से क्रोम रिकवरी करेंगे क्रोम रिकवरी करके लिमिट के अंदर लेके आने के बाद हम टीसीएलपी टेस्ट करवाएंगे हमने टीसीएलपी टेस्ट करवाया था 2011 में करवाया था। इस टेस्ट के मुताबिक जब क्रोमियम कंटेन्ट जब परमीशीबल लिमिट से कम है तो ये हजार्ड्स वेस्ट नही है। रमेश अग्रवाल–लेकिन फेरो क्रोम जो भी निकलता है आपका जो उसमें निकलेगा फेरो क्रोम तो उसमें होगा ही होगा हेक्जावेलेंट क्रोमियम होगा ही होगा। चाहे वो मानक के नीचे हो या ज्यादा हो। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की इसमें टीसीएलपी टेस्ट कराया जायेगा चाहे वो किसी भी प्रकार का सॉलिड वेस्ट हो। रमेश अग्रवाल–द प्लांट इज रनिंग फ्रॉम 2004 एण्ड इट इज 2017। 13 इयर्स इज गॉन। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की 2011 में एनालिसिस किया गया था। रमेश अग्रवाल–2011 में केवल एक बार एनालिसिस किया उसके बाद ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाते समय नोटिस करना चाहिए था ताकि वर्तमान स्थिति क्या है यह मालूम चलता। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की रॉ मटेरियल तो वही है रॉ मटेरियल तो जो कम्पोजिसन केमिकली चेंज होता है तभी इसका फर्क आयेगा। रमेश अग्रवाल–रॉ मटेरियल अलग–अलग जगह से आ रहे हैं फ्लकच्यूऐसन तो होगा ये कंटिन्यशली होना चाहिये छः महिने साल भर में वैसे पर्यावरण अधिकारी ने 2011 में लिखा था की आपके उद्योग में क्रोमियम पैदा होता है। एनालिसिस करवाया कि नहीं करवाया श्री रेड्डी ने कहा कि एनालिसिस करवाया हम उसी पुरानी रिपोर्ट को सबमिट भी करेंगे। रमेश अग्रवाल–मेरा यही कहना है कि यदि आज के दिन में लिमिट से ज्यादा है वह रिपोर्ट 6 साल पुरानी है आज के दिन में क्या आपको ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाते समय टी.सी.एल.पी. टेस्ट नहीं करना चाहिये। श्री रेड्डी ने कहा इस प्लांट में स्लेग कंपोजिसन में क्रोम रिकवरी अच्छी तरह से हो जायेगा तो लिमिट के बाहर हो ही नही सकता। श्री रमेश अग्रवाल–मेरे पास गंगा नगर इण्डस्ट्रीयल स्टेट की रिपोर्ट है वहां पर जो लिमिट है उसे बहुत ज्यादा पाया गया फेरो क्रोम। श्री रेड्डी– इस कॉमन इक्जाम्पल नहीं माना जा सकता है। श्री रमेश अग्रवाल–यह हजार्ड्स वेस्ट हो सकता है या नही हो सकता है। श्री रेड्डी–यह टीसीएलपी टेस्ट से डिसाइड होगा। श्री रमेश अग्रवाल–आपने कभी भी इंवायरमेंट डिपार्टमेंट को स्टडी रिपोर्ट प्रस्तत नही की है। श्री रेड्डी–हमारे पास रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। श्री रमेश अग्रवाल–आपने इसमें लिखा है की एंबियेंट एयर क्वालिटी विद इन 10 किलोमीटर फ्रॉम दी प्लांट साईड ऑफ द बेस लाईन इंफार्मेशन वेरियस सॉर्सेष ऑफ पॉल्यशन इन द रिजन आर वेहिकलर पॉल्यूशन, डोमेस्टिक पॉल्यूशन यहां पर इण्डस्ट्रीयल पॉल्यूशन नहीं है। श्री रेड्डी–जब तक यह इण्डस्ट्रीयल पॉल्यूशन लिमिट में है तो हम इसे पॉल्यशन नही कह सकते वेन द यूनिट्स आर कम्प्लाईन विद दैट आई कैन नोट से पॉल्यूटिंग इण्डस्ट्री वैन द स्टेंडर्स आर एक्सीट इण्डस्ट्रीज विल बी क्लोज्ड। श्री रमेश अग्रवाल–हमारे पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है आपने जो डाटा दिये हैं उस रिपोर्ट में 8 गुना ज्यादा है। अब मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मानू या आपको मानू या स्केनिया को मानू। आपके अनुसार इण्डस्ट्री से कोई पॉल्यूशन नही है। श्री रेड्डी–आई कैन नॉट पूट दैट वर्ड अनलेस इट इज प्रुवन दैट दे आर एक्सीडिंग द लिमिट। श्री रमेश अग्रवाल–इसका मतलब 10 किलोमीटर रेडियस और तराईमाल में सब कुछ ठीक–ठाक है। श्री रेड्डी–इंडस्ट्रीयल पॉल्यूशन इट इज इण्डस्ट्रीयल एमीशन। श्री रमेश अग्रवाल–वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूसन नेटवर्क यह जिंदल के द्वारा की जायेगी जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क में। श्री रेड्डी–ग्राऊंड वाटर उपयोग में लाई जायेगी। श्री रमेश अग्रवाल–आपकी रिपोर्ट के अुनसार इण्डस्ट्रीयल एरिया हैज वेल डेवलॉप्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड वाटर सप्लाई नेटवर्क, ऐसा है क्या? श्री रेड्डी–नही आवर सॉर्स ऑफ वाटर इज ग्राऊंड वाटर। श्री रमेश अग्रवाल–एक तरफ आपके द्वारा कहा जा रहा है कि वेल डेवलॉप्ड वाटर सप्लाई नेटवर्क है और दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि हम ग्राऊंड वाटर का उपयोग कर रहे हैं और करेंगे। श्री रेड्डी–चेप्टर 4 में क्लीयर है हम ग्राऊड वाटर लेंगे। श्री रमेश अग्रवाल–क्या ग्राऊंड वाटर उपयोग की परमिशन है आपके पास। श्री रेड्डी–प्रोजेक्ट विस्तार के लिये 25 केएलडी वाटर की जरूरत है। हमने ग्राऊंड वाटर की परमीशन के लिये अप्लाई किया है। अभी परमीशन नहीं मिला है। श्री रमेश अग्रवाल–अभी तक जो यूज कर रहे थे। श्री रेड्डी–ये 2005 से चल रहा है उस समय ग्राऊंड वाटर

अथॉरिटी से 1000 केएलडी से कम ग्राऊंड वाटर के लिये परमीशन की आवश्यकता नही थी। यह दो साल पहले अनिवार्य हुआ। यह अब लिमिट 100 केएलडी हो गया है इसलिए परमीशन की आवश्यता है। श्री रमेश अग्रवाल–सर जो पानी उपयोग में लाया जा रहा है क्या उसका पैसा पटा रहे हैं। श्री रेड्डी–जल उपकर का भुगतान किया जा रहा है। श्री रमेश अग्रवाल–हमारा जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है ये पानी के उपयोग पर टैक्स लेता है क्या आपने एक पाई भी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भुगतान किया है। श्री रेड्डी–मुझे नही मालूम। श्री रमेश अग्रवाल–यह इण्डस्ट्री 2004 से चल रही है इसने डब्ल्यू आर डी से परमीशन लिया है और न ही छ.ग. सरकार को कोई भुगतान किया है। इस इण्डस्ट्रीयल पार्क में 25–30 उद्योग चल रहे हैं किसी ने भी जल के उपयोग का भुगतान नही किया है। इस तराईमाल क्षेत्र में स्थित सभी उद्योग भू जल का दोहन कर रहे हैं। 2010 में मैडम ने कलेक्टर ने एक कमीटी बनाई थी और उन्होनें 25 उद्योगों की जांच की थी और सबके सब भारी मात्रा में 10 इंच के बोरवेल से पानी लिये जाते पाये गये। लेकिन अफसोस कार्यवाही आज तक किसी के ऊपर नही हुई और तो और पानी ले रहे है तो ले रहे है सरकारी खजाने में पैसा भी नही दे रहे है। यहां पर एक जनहित की बात आती है छ.ग. सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि धान कि फसल न लें जेल में भेज दिया जायेगा। ऐसा मैने पढ़ा था गिरफ्तार कर लिया जायेगा। पंप बंद करवा दिये जायेंगे। जब भू जल पानी की इतनी कमी है तो उद्योगों पर बैन क्यों नही है। केवल किसानों की फसल लेने पर क्यों। यह बहुत ज्वलंत सा प्रश्न है, मैं सार्वजनिक मंच के माध्यम से यह प्रश्न उठा रहा हूं कि जब सरकार मानती है कि भूजल की कमी है और इसलिए धान की फसल नहीं लेने देना है और मंत्री तक के बयान आते हैं कि धान की फसल ली ट्यूबवेल चलता पाया गया तो जेल में भेज दिये जाओगे। यही बात उद्योगों के लिये क्यों लागू नही होती क्या इस मतलब खेती किसानी, किसानों से ज्यादा हित उद्योगों के विकास पर आकर टिक गया है। हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनके पानी पर कोई रोक नही लगा सकते जबकि उनके पास कोई परमीशन भी नही है। इसको रोक दीजिये और यह बात सरकार तक जानी चाहिये। और डिस्ट्रीक एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा। दूसरा यह है कि आप लोग डेली वेहिकल्स की गणना जो करते हैं इसकी क्या प्रोसिजर है कितनी गाड़ियां चलती है इस रोड में कौन सा प्रोसिजर से करते हैं इसका कोई साइंटिफिक मेथड है, इस रोड पर आवागमन कितना है ऐसा कोई दिन नही जाता जब दुर्घटनाएं नहीं होती। या तो लोग अपंग हो जाते हैं या मर जाते हैं हर समय फोर लेन बनाने की बात जरूर होती है लेकिन बनती कभी नही है लोगबाग का मरना या अपंग होना जारी है तो आपने यहां पर गणना करके लिखा है 3600 छोटे बड़े मिलाकर वेहिकल जो इस रोड पर आवागमन करते हैं। आते भी है और जाते भी हैं यह कैलकूलेशन आप कैसे करते हैं। श्री रेड्डी –हम अपने प्रतिनिधि को रोड के दोनो तरफ खड़ा करते हैं और वह यह काम करते हैं हर प्रकार के गाड़ियों के लिए एक–एक आदमी होता है एक टीम एक तरफ दूसरी टीम दूसरी तरफ। श्री रमेश अग्रवाल–इसका मतलब मैन्यूली गाड़ियों की गणना की जाती है। सर आपके उद्योग में क्या फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने का प्लांट भी है क्या? श्री रेड्डी–ब्रिकेटिंग प्लांट हैं डस्ट के लिए। श्री रमेश अग्रवाल–टीसीएलपी टेस्ट केवल 2011 में हुआ था इसके बाद में आज तक नही हुआ है और यदि वो करवाया जाता तो हो सकता है हजार्ड्स मटेरियल मिल सकते थे जो कि आज तक नहीं हुआ। आपने नही किया। इस पॉइंट को नोट करले प्लीज। सर आपके उद्योग में 60–70 टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है, सर इसका डिस्पोजल कैसे होता है। श्री रेड्डी–पहले क्रस करते हैं फिर ब्रिकेटिंग प्लांट में उपयोग करते हैं शेष रोड कंस्ट्रक्शन में। श्री रमेश अग्रवाल–कौन सी रोड कंस्ट्रक्शन में। श्री रेड्डी–हमारा प्लांट छोटा है केवल 15 एकड़ हम उसे स्टोर करके नही रख सकते इसका उपयोग किया जाता है। श्री रमेश अग्रवाल–यह इंवायरमेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। श्री रेड्डी–यह प्रोसेस रिसाईकिलिंग में यूज होता है तो रिड्यूस हो जाता है। श्री रमेश अग्रवाल–मान लिया 50 टन प्रतिदिन तो कौन सी रोड में उपयोग करते हैं। मैडम यह बताना चाहूंगा कि इस इण्डस्ट्रीयल स्टेट में ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सिटी है। 1700 से ज्यादा छात्र–छात्रायें यहां हॉस्टल में रहकर अध्ययन करते हैं और इनके प्लांट से निकलने वाले पॉल्यूशन के कारण मैनेजमेंट बहुत सख्त हुआ और उनको बच्चों की चिंता हुई मेरे पास वह लेटर है जिसमें इन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया कि अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। तो क्या एक ऐसा प्लांट जो इंवायरमेंटल नियम का पालन नही करता है एमीशंस निकलता है न वेस्ट डिस्पोजल ठीक ढंग से नही कर पाता है और उसके लिए यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को प्लांट को चिट्ठी लिखनी पड़ती है की यह बच्चों के भविष्य का मामला है

यहां इनको दमा हो रहा है खुजली हो रही है स्किन प्रॉब्लम हो रही है आप अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाइये तो क्या ऐसे प्लांट को, जब उन्होने साईट चूज की तो मिनिस्ट्री पूछती है कि आप कोई अल्टरनेट साईट क्यों चूज नहीं करते इन्होने कोई अल्टरनेट साईट चूज ही नही की ये जहां पर 1500 बच्चे पढ़ रहे है वहां एक्सपांशन करने जा रहे हैं। इनकी एक्जीसटिंग यूनिट का हाल बेहाल है इनके पास न तो डिस्पोजल का सिस्टम है न कोई मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम है। यह बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है बच्चों के भविष्य को देखते हुये वैसे तो पूरे क्षेत्र में पॉल्यूशन है इनकी स्टडी पर सवाल है, मैडम यह क्षेत्र जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है स्वयं डी.एफ.ओ. महोदय ने इन्होने अपनी ई.आई.ए. में भी लगाया है और उन्होने भी कहा है आवास कार्यक्रम के रूप में चिन्हाकिंत है मतलब पहले कहते थे की उड़ीसा से माइग्रेट होकर आते हैं लेकिन अब उनका स्थायी निवास रायगढ़ और उसके आस–पास का एरिया तराईमाल, तुमीडीह, तमनार और आगे जाएंगे तो धरमजयगढ़। यह अपनी बात कहने के लिए रायपुर भी गए वहां भी इनकी बात नहीं सुनी गई लगता है इनको दिल्ली जाना पड़ेगा। कोई ई.आई.ए. वाला मानता ही नही कि यहां हाथी है मेरा निवेदन यह था कि इन्होने कहा तो है कि हाथी है लेकिन इन्होने हाथी का लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट न हो उसके लिए कोई भी योजना इन लोगों ने इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में नही दी है। की हाथीयों के लिए घर बनवा देंगे ताकि वे बाहर न निकले चारा पानी की व्यवस्था कर देंगे ताकि वे लोगों के खेतों में जाकर फसल न बरबाद करें। ये सब करना चाहिये था। जो बिजली ऐ ले रहे हैं और आगे और भी लेंगे उन्होंने कहा है कि जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड इनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है और आगे भी देगा। लेकिन इसमें गंभीर सवाल यह है कि 07 मई 2008 अपील नंबर 27/6, 129/5, 188/05 एण्ड 16/6 में अपीलेड ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दिल्ली ने इनको जो लाइसेंस मिला था उसको केंसिल कर दिया था। तो सवाल यह है कि जब लाइसेंस नही था अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 डिस्ट्रिब्यूसन यदि आप करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और जब लाइसेंस है ही नही आई एम नॉट श्योर इनके पास लाइसेंस है कि नही इन्हें रायपुर से लाइसेंस मिला जरूर था 2008 में आफ्टर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द लाइसेंस वाज रिवोक्ड तो अभी भी ये बिजली सप्लाई कैसे हो रही है क्या दुबारा इनको लाइसेंस मिल गया है और यदि नही मिला है तो ये एक्सापेंशन में 20 करोड़ का खर्चा बता रहे हैं। यहां और भी यूनिट है मैं सबकी कॉमन बात कर रहा हूं तो इनका भविष्य क्या होगा यदि ये कल के दिन बिजली बंद कर दें तो क्या वैलिड इनके पास में लाइसेंस है या कि नही है इस बात हिसाब किताब बहुत जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट में पैसा पार्टी का कम बैंकों का ज्यादा फसता है। मैं इनके ई.आई.ए. का कंपेरिजन चार्ट दे रहा हूं आप खुद देख लें कि 14–15 में पॉल्यूशन का लेबल इस पूंजीपथरा में और तराईमाल में ज्यादा था और 15–16 में आश्चर्यजनक रूप से उस पॉल्यूशन में कमी आ गई। यह तो रेड्डी साहब ही बतायेंगे हालाकि दोनों ही आंकड़े सही नही है क्योंकि ऐ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्टडी से मेल नहीं खाते। आई विल सेंड डायरेक्टली टू मिनिस्ट्री ऑफ इंवायरमेंट एण्ड फॉरेस्ट। धन्यवाद।

323. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना रायगढ़ – मैं राजेश त्रिपाठी जनचेतना रायगढ़ से, सबसे पहले आज इस जनसुनवाई के तैयारी में जो सुबह–सुबह पुलिस के साथियों के साथ जो घटना घटी और ईश्वर ने उनको बचा लिया, उस ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। ये उन परिवार के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं और हमारे बीच है और काम कर रहे हैं। मैडम जो आज की जो जनसुनवाई हो रही है वो लगभग मेरी 87 नंबर की जनसुनवाई हैं जिसमें मैं हिस्सेदारी कर रहा हूँ 14 सितंबर 2006 का जो नोटिफिकेशन है उसमें पैराग्राफ नंबर पहले पर लिखा है कि आवेदन के 45 दिनों के अंदर जनसुनवाई की जानी चाहिये और अगर किन्हीं परिस्थितियों में 45 दिन के अंदर जनसुनवाई आयोजित नही होती है तो उन परिस्थितियों में केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और वो जो समिति हैं वो जनसुनवाई का आयोजन करवायेगी उन परिस्थितियों में पहले पैराग्राफ का जो 14 सितंबर 2006 का नोटिफिकेशन है उस पैराग्राफ के मुताबिक ये जनसुनवाई यहीं ये जनसुनवाई इंलिगल है। और यह जनसुनवाई प्रायोजित नहीं करवाई जा सकती इसलिए मैं ये जनसुनवाई निरस्त करने की मांग करता हूँ। मैडम रमेश जी हमारे साथी जो हमारे साथ काम करते हैं और उन्होंने काफी तथ्यों को रखा उन तथ्यों को मैं नहीं रखूंगा हम उन तथ्यों को रखेंगे जिन तथ्यों का ई.आई.ए. के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं है। रेड्डी साहब ने अभी कहा कि 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर हमने एक अध्ययन करवाया और मैं यह कह सकता हूँ की इस 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर इन गांवों के अंदर लोगों के बाद अगर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा

घुमने वाला व्यक्ति कोई है तो मैं हूँ और विगत 27 सालों से घुम रहा हूँ। अगर आपने 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर अध्ययन किया है तो इस क्षेत्र के जो 30 गॉव आ रहे हैं उस अध्ययन में दायरे के अंदर वहां के आंगनबाड़ी के बच्चों का वहां के प्रायमरी स्कूल के बच्चों का वहां के मिडिल और हायर सेकेंडरी के बच्चों का क्या आपने अध्ययन करवाया, तो अध्ययन रिपोर्ट आपके एस.आई.ए. के अंदर कहां है। ई.आई.ए. के अंदर पहली बात मैडम सरकार का नोटिफिकेशन 2014 का है, और वो शायद आपके पास आया होगा की किसी भी कंपनी के ई.आई.ए. बनाने के पहले आपको एस.आई.ए. तैयार करवाना है और यह 2017 है। क्या ये कंपनी अपनी ई.आई.ए. का एस.आई.ए. करवाई है, और मैं आपको बता दूँ 10 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर जितने भी गांव है एस.आई.ए. नहीं बनाई गई है और न ही कोई अध्ययन किया गया है। जब एस.आई.ए. नहीं बनी तो ई.आई.ए. कैसे बन गई, तो एस.आई.ए. आपको ग्राम पंचायत में बनाना था गांव के अंदर बनाना था। मोहल्ले का बनाना था और अगर रेड्डी साहब ने एस.आई.ए. किया है तो किसी भी गांव के उन पांच परिवारों का मेरे को नाम बता दें की हां मैं गया और हमने एस.आई.ए. बनाई, मैडम सबसे बड़ी बात यह है की इस क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को अगर मिला दें तो छोटे–बड़े 27 उद्योग हैं। अभी हमे एक डेढ़ महीने पहले एक जनसुनवाई को, दो महीने पहले हुई थी स्केनिया स्टील उसकी ई.आई.ए. को मैं शर्मा साहब को बता भी रहा था की साहब स्केनिया स्टील की ई.आई.ए. में जो तथ्य पर्यावरण प्रदूषण के जो मापदंड है जो यहां चीजें है उससे इनकी ई.आई.ए. में अलग है। इस तीन महीने में आपने जादू किया स्केनिया वाले ने जादू किया की फैक्ट्री वालों ने जादू किया की ये प्रदूषण के जो मापक है की अचानक कैसे चार गुना कैसे गिर गये और तीन दिन पहले अभी परसों पर्यावरण अधिकारी ने यहां के तीन उद्योगों न केवल प्रदूषण फैलाने के कारण बंद किया बल्कि उनके विद्युत कटौती भी कर दी और रेड्डी साहब बोल रहे हैं की महिलाएं खाना बनाती है चुल्हे में, प्रदूषण इसलिए होता है, सड़के बनती है डस्ट उड़ती है प्रदूषण इसलिए होता है। यानी कहीं भी उद्योग जिम्मेदार नही हैं और वो उद्योगों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि वो नही है। जो क्रोमियम के उससे निकलेगा उससे टी.वी., दमा, अस्थमा उससे 187 लोगों को मैं मैडम जानता हूं। जिनको दमा है जिनको टी.वी. है जिनको केंसर है। और इन चीजों को आज तक इनकी ई.आई.ए. में को यहां हेल्थ, रोड के किनारे के गांव में 10 किलोमीटर के रेडियस में हेल्थ कैंप कोई कंपनी लगाती है दवाईयां बांटती है परंतु कभी किसी आदमी के फेफड़े की कभी जांच नहीं हुई एक महिला यहां चिल्ला–चिल्लाकर बोल रही थी कि किस तरीके की गांव के अंदर बीमारीयां हैं और आपको बता दूं की सन्याल फाउंडेशन, हैदराबाद की एक रिपोर्ट 2008 जिसका अध्ययन हमने करवाया है और उन्होने कहा है की 2015 तक यहां के 8 प्रतिशत लोगों को ब्लड केंसर होगा और 56 प्रातिशत लोगों को दमा, स्नोफिलिया और टीबी जैसा गंभीर बीमारीयां होंगी और जो 2008 में इसी जगह पर मैंने जनसुनवाई में बोला था। वो चीजें आज प्रमाणित है तथ्यात्मक है, तो हमारा यह कहना है की इनके कंपनी के अंदर मैं जब ई.आई.ए. पढ़ रहा था मैं लाया हूँ ये 150 लोगों को नौकरी देंगे उनमें से 25 लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे और मेरे पीछे कितने लंबी लाईन है लगी है और सुबह से कितनी लग चुकी है गिन लीजिये इनमें से वो कौन 25 लोग होंगे जिनको ये कंपनी वहां नौकरी देगी इन्होंने कहा की सी.एस.आर. के तहत् 2.5 प्रतिशत सी.एस.आर. करेंगे और 5 प्रतिशत से सी.एस.आर. करेंगे साहब ये बता दीजिये 2004–10 तक मैंने सूचना के अधिकार के तहत् जानकारी निकाली है और सीएसआर के तहत् उन पूरी 2010–15 तक इस कंपनी ने कहीं भी एक गुंगे बेहरे व्यक्ति को कपड़ा तक नहीं दिया है। इनका कुछ कहीं सी.एस. आर. के अंदर नाम नहीं है ये बतादें की किस गांव के अंदर सड़क या स्कूल बनवाया गया बच्चों के लिए हेल्थ कैंप अभी बोल रहे हैं की हेल्थ कैंप करेंगे यानी पहले बीमारी दोगे फिर इसके बाद आप हेल्थ कैंप करोगे। उन्होंने कहॉ प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि जहर पेट भर नहीं खाया जाता जहर एक पुड़िया खाया जाता है, और एक पुड़िया खाने के बाद लोग मर जाते हैं, तो आप लोग जो ये जहर फैला रहे हैं रायगढ़ के वातावरण के अंदर उससे देखिये की रायगढ़ के अंदर परिस्थितियां क्या बन गई है? विकास आपका होगा। यहां के स्थानीय लोगों का विकास नहीं होगा। 50 हजार रूपये एकड़ 1 लाख रूपये एकड़ में लोगों की जमीन आपने लूटा है और आप उसमें अपना विकास कर रहे हैं। आपके पास 2800 टी.पी.ए. का उद्योग था आपका इतना विकास हो गया की 4300 टी.पी.ए. हो गया तो विकास आपका हुआ की मेरा हुआ ये बता दीजिये और विकास क्या हुआ एक स्कूल में शिक्षक नहीं है एक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाईयां नहीं है और आप विकास की बात करते हैं। आप ये बात करते हैं की

हम अध्ययन करवायेंगें। यहां के जो मरने वाले लोग हैं पुलिस विभाग की रिपोर्ट है आप देखिये मैडम लगभग चार साढ़े चार सौ लोग दूर्घटनाओं में हर साल मरते हैं, और 1500–1800 लोग लंगड़े लूले हो जाते हैं। उस परिवार से जाकर पूछिये की जिसका पति, जिसका जवान बेटा, जिसका भाई मर गया उस परिवार को आपने कभी सी.एस.आर. दिया कभी आपने उनसे पूछा की हमारे अध्ययन के मुताबिक ये जरूरी है की जिसके दूर्घटना हूई है जिसका दो साल, पांच साल का बच्चा है उसके दवाई की व्यवस्था कर दो उसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दो और आप सी.एस.आर. और विकास की बात करते हैं। मैडम इन्होने जो अध्ययन किया हाथियों पर इनका एक अध्ययन हुआ है रायगढ़ वन मंडला अधिकारी ने सूचना के अधिकार के तहत् 2010–16 तक का दस्तावेज दिया है। जिसमें 5400 लोगों को अभी तक फसल का मुआवजा और 287 लोगों का हाथियों से कुचलने का या मरने का या की हाथियों के मारने का मुआवजा दिया है। ऐसे 87 केस पर वन संरक्षण के तहत् भी कोर्ट और न्यायालय में वन विभाग के अंदर चल रहे हैं। आपका जहां उद्योग है मैं बता देता हूं वहां से 1 किलोमीटर दूर आप जाइये हाथी वाच टॉवर बना हुआ है। मैडम उसके लिए 2,87,000 रूपये सामारूमा 2,87,000 रूपये पड़कीपहरी एलिफेंट टॉवर वाच के लिये बनाये गये हैं। हाथियों के भगाने के लिये 5–5 लाख रूपये बांटे गये हैं। ये वन विभाग ने मुझे सूचना के अधिकार के तहत् दिया फिर हाथी के पानी पीने के लिये भी उन्होने कहाॅ तालाब बनाया जिसके लिये 5–5 लाख उन्होने खर्चा किया और ये बोलते हैं की हाथी यदा–कदा यहां आते हैं। आपको विगत तीन महीने का कौन से दिन का न्यूज पेपर चाहिये जिस दिन इस क्षेत्र में हाथी 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप बताइये मैं आपको बताता हूॅ की किस समय किस तारीख को वो हाथी किस 10 किलोमीटर के रेडियस में कहाॅ थे, और अगर हाथी नहीं है, तो टी.आर.एन. कंपनी का जो चाइना का इंजीनियर आया था उसको हाथी ने कुचलके कैसे मारा किसने मारा क्या वो रिपोर्ट और हाथी के कुचलने से जो मौत हुई चाइना के इंजीनियर का वो फाल्स था? और मैडम मैं अब यह कहना चाहता हूॅ की अब इस क्षेत्र के अंदर और उद्योगों को न लगाने का या विस्तार करने का आप परमीशन नहीं देंगी इसके लिये आपको नहीं मालूम इस क्षेत्र के अंदर ऐसी एक रिपोर्ट है और हमने भी अध्ययन किया है मैं आपको भेज दूॅगा अभी चार छः दस दिन पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और जन चेतना के लोगों ने उस अध्ययन को बनाया है जो स्तनधारी जीव है यहॉ उनके गर्भाशय के अंदर गांठ हो रही है, और उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो चूकी है। हमारी बहनो हमारी बेटियों, मॉओं पर भी उसका असर पड़ेगा यह हो रहा है कि महिलाओं के अंदर चार महीने छः महीने के बाद बच्चा अचानक बाहर हो जा रहा है और यह प्रदूषण के वजह से हो रहा है, और ये रिपोर्ट हमारी अध्ययन रिपोर्ट बोलती है क्या इस पर गंभीर विचार नहीं करना चाहिये अगर ये रिपोर्ट 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर है तो सराईपाली में 12 महिला जो सिलीका की बीमारी सिलिकोसिस की बीमारी से मरी है और हमारे दस्तावेजों के आधार यहां के जो श्रम मंत्री हैं भैया लाल रजवाड़े चार लोगों को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभी तक भर्ती किया और 3–3 लाख हम लोग उनको दिलवाने में सफल रहे पहले प्रशासन बोलता था कि सिलिकोसिस नही है, तो क्या ऐसे गंभीर मामलो का ऐसे गंभीर बीमारियों का क्षेत्र मे अध्ययन नहीं होना चाहिये और अभी तक इनकी ई.आई.ए. पर मुद्दा एक उठाता हूं की आपने जो ई.आई.ए. में अपने जो दस्तावेज दिये हैं क्या हमारे पर्यावरण अधिकारी द्वारा समय–समय पर अध्ययन और जो पैमाने की जो रिपोर्ट है वो गलत है। आपके अध्ययन रिपोर्ट आपकी जॉच रिपोर्ट कुछ और बोलती है और रेड्डी साहब की जॉच रिपोर्ट कुछ और बोलती है तो इसमें फर्जी रिपोर्ट किसकी है। फिर अभी एक साल पहले पिछले जून में आई.आई.टी., खड़गपुर की एक टीम आई थी शर्मा साहब ने मुझे भी आदेश किया था, कि इनकी जब अलग–अलग जगह मशीन लगाना है 3–4 जगह मशीन लगाना है तो अपने चिन्हांकित जो पहचान के हैं वहां लगाया था उसकी रिपोर्ट कहती है की रायगढ़ तराईमाल, पूंजीपथरा और गेरवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि देश का सबसे प्रदूषित जगह है। क्या उनकी रिपोर्ट फर्जी है। फिर केद्रीय प्रदूषण बोर्ड की टीम आज से तीन–चार साल पहले आई और उसके साथ भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला उन्होने कहा कि सामान्य से 17 गुना ज्यादा पूंजीपथरा और तराईमाल के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों में यहां प्रदूषण है और रेड्डी साहब बोलते हैं की चूल्हे जलने से प्रदूषण है, तो मेरा यह कहना है इन चीजों का ध्यान में रखते हुये और पूरे तथ्यों का कम से कम एक महिला होने के नाते संवेदनशीलता के साथ इस रिपोर्ट को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजा जाये

और जिस पर वे सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करने के बाद वो विचार कर सके की देना है की नही देना है। आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

324. राजाराम, तुमीडीह, – मुझे निराश्रित नहीं मिलता।
325. दिलीप, पूंजीपथरा – समर्थन।
326. डिग्रीलाल, तुमीडीह, – रोड में सोमवार को पानी छिडकाव करें।
327. कैलाश, अमलीडिह – समर्थन।
328. मनीश, अमलीडिह – समर्थन।
329. साहनु, पंजीपथरा – समर्थन।
330. हरि, पंजीपथरा – समर्थन।
331. परसंजय, पंजीपथरा – समर्थन।
332. सदानंद, पंजीपथरा – समर्थन।
333. कार्तिक, पंजीपथरा – समर्थन।
334. सुंमित, पंजीपथरा – समर्थन।
335. सुनील कुमार बेहरा, तराईमाल – मैं दो शब्द अध्यक्ष महोदय जी से कहना चाहूॅगा कि इन बेरोजगारों को रोजगार कब दिलाओगे, इन बेरोजगारों को रोजगार कब दिलाओगे, ऐसा कड़वा कानुन कब बनाओगे। अध्यक्ष महोदय जी कृपया ध्यान दे। इन बेरोजगारों को रोजगार कब दिलाओगे, ऐसा कड़वा कानुन कब बनाओगे। स्थानीय लोगो को कब काम दिलाओगे, इन लोगो के लिए क्या कड़वा कदम उठाओगे। जब काम के लिए जायेंगे हम लोग उन्हे गेट से बाहर बिठाओगे, जब नेताओं को बिना काम से बिठाकर चाय पिलाओगे। जब जनसुनवाई होगी ये नेता पीछे खड़े रह जायेंगे, और आम जनता सामने आकर समर्थन कर जायेंगे। जन समर्थन कर जायेंगे। ऐसा कड़वा कानुन कब बनाओंगे। अपने उद्योगों का विस्तार कराओगे। आम जनता से दुरव्यवहार कब तक कराओगे ऐसा कड़वा कानून कब बनाओगे, और प्रदूषण के बारे में कहना चाहता हूॅ। प्रदूषण विभाग वाले आते रहते है जाते रहते है। जैसे रामदेव बाबा, हे प्रदूषण वाले बाबा, हे प्रदूषण वाले बाबा प्रदूषण के लिए कब उद्योगों में जाओगे वहॅा ई.एस.पी., बैग फिल्टर बंद रहेगा और मंद–मंद मुस्कुराओगे हे प्रदूषण वाले बाबा फैक्ट्री जाओगे ई.एस.पी. बैग फिल्टर बंद रहेगा और मंद–मंद मुस्कुराओगे। ऐसा कड़वा कानून कब बनाओगे, ऐसा कड़वा कानून कब बनाओं। जितने बेरोजगार बंधु है जितने कर्मचारी है, जाते है तो प्लांट में तो जरूर लेकिन सेफ्टी नाम की चीज कही पर नहीं है, न इस पर उद्योग विभाग ध्यान देता है, न इस पर कानून ध्यान देता है, बस अपना–अपना पल्ला झाड़ते रहते है। बचपन में बच्चे छोटे–छोटे में अनाथ हो जाते है। इसके जिम्मेदार आप लोग है। इसका पछतावा आप लोगों को अभी नहीं होगा। जय हिंद। इस तिरूमाला बालाजी का मैं विरोध करता हूॅ। धन्यवाद।
336. राजु, पुंजीपथरा – समर्थन।
337. राकेश, पूंजीपथरा – समर्थन।
338. लोकेश साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष – पहले सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। अभी कुछ लोगो ने यह कहा कितने कि.मी. के अंदर के व्यक्ति है तो भारत के संविधान में यह तो कहीं नहीं लिखा है कि एक सांसद, एक संसदीय क्षेत्र का युवा, मैं एक मतदाता हूॅ मैं हर वो जगह का बात करूंगा जिस जगह से किसी आम आदमी की समस्याए जुड़ी हो। पर्यावरण की बात है। आज पर्यावरण की जो स्थिति है इतनी भयावह है, जिसका आंकलन करना आम आदमी के बस में नहीं है। इस चीज की कोई आंकलन नहीं है जिस प्रकार से दिल्ली में पर्यावरण का प्रदूषण है। रायगढ़ में भी है। प्रदूषण का मामला, बहुत उच्च स्तर पर है। युवाओं में बेरोजगारी की समस्या है। मैं इस बेरोजगारी की समस्या के लिए ये बात करने आया था। जब 30 से ऊपर यहॉ प्लांट है। उसके बाद भी मैं ये आकड़े देखता हूॅ, 1 लाख से ऊपर आकड़े है। मेरा जैसा जागरूक व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उसके बाद बेरोजगारी है। क्या यहा सिर्फ यू.पी. बिहार के लोग, बाहर से आके लोग उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा? यहॉ कितने लोकल यहॉ नौकरी पे है, ये जानकारी नहीं है। जानकारी मॉगने जाने से भटका दिया जा रहा है। बात थी पर्यावरण की समर्थन बिल्कुल करेंगे प्लांटो को जिस प्रकार से मंदी है। मंदी के दौर में यदि रोजगार देते है तो बिल्कुल समर्थन किया जाएगा। लेकिन यदि पर्यावरण के ऊपर अगर बात आएगी तो आज भी विरोध होगा कल भी विरोध होगा और आने वाले समय में पूरा रायगढ़ जिला में विरोध

करेंगे इस चीज का। इनके द्वारा आज जिस प्रकार से पानी बहाया गया है रोड में मॉ बंजारी के अंदर गया जा के देखा पॉव काले पड़ गए मैं बोला माता का आशीर्वाद है सर, कि बेटा तू जाएगा तो पॉव काले–काले निशान पड़ेगे। माता वहॉ बैठी है दुःख होगा उन्हे, माता सोचती होगी आज हमारे बीच में अपर कलेक्टर महोदया बैठी हुई है। यहॉ स्तनधारी जो जीव है उनका आज गर्भधारण समस्या है। इस चीज को आंकलन नहीं है किंतु प्लांट विस्तार के लिए ये बात जो आज हो रही है लोग समर्थन में बोल रहे है लोग विरोध में बोल रहे है अपने मानसिकता के अनुसार बोल रहे है। किन्तु मैं यह कहना चाहूॅगा अगर ये प्लांट के लोग, लोगो को रोजगार देना शुरू करें। ये पर्यावरण के लिए अगर अपनी जितनी भी व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। प्लांट के विस्तार से समस्या नहीं है सर व्यवस्था से समस्या है ये व्यवस्था से समस्या है ये व्यवस्था सुधारी जाए अगर ये प्लांट अपने वादे किए हुए कामों पे अगर खरा उतरती है तो आज भी समर्थन करेंगे, कल भी समर्थन करेंगे और सदा समर्थन करेंगे किन्तु आने वाले समय में अगर आप आदरणीयों के द्वारा आज जो समर्थन, आज जो निर्णय होगा। इस निर्णय के बाद अगर ये कंपनीयॉ अपने वचनों से अपने कर्मो से अगर वापस हटती है तो युवा कांग्रेस रायगढ़ तो हर स्तर में जाकर बड़े से बड़ा विरोध करेगी जिसका पूर्णरूप से जिम्मेदार जिला प्रशासन एवं शासन होगा। धन्यवाद।

339. बोध राम सिदार, कृषि संघर्ष अध्यक्ष – श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूॅ कि केलो डेम में जिस प्रकार मुआवजा दिया गया है। 1 एकड़ 50, 55 हजार रूपया वो उसको जरूर कुछ दुबारा दिया गया था। मतलब 9 लाख हेक्टेयर में मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा किये थे वा और 18, 19 गावों को क्यों भेदभाव कर रहे है। मैंडम मैं यह पुछना चाहता हूॅ उसका जवाब हमको चाहिए। केलो डेम में दनौट को विशेष पैकेज के नाम से मुआवजा राशि दुबारा दिया गया था। पहले गाईडलाईन के अनुसार मुआवजा एक बार दिया गया था। जनसुनवाई का मैं समर्थन करता हूॅ। बात यह है मैडम जी।

340. प्रकाश त्रिपाठी, लाखा – सर्वोदय ग्रामीण विकास समिति महासचिव महोदया से मेरा निवेदन है कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग है और भी उद्योग आने चाहिए क्योंकि संस्कृत में एक कहावत है, उद्योगं दरिद्रः त्रासति जहॉ उद्योग होंगे वहॉ दरिद्रता का नाश होगा। लेकिन उद्योग लगने के साथ–साथ जो उनके कानून है, उनका मैं महोदय को निवेदन करना चाहूॅगा उन कानूनों को लागू कराने के लिए आप सक्षम है और उसको लागू कराइए। क्योंकि अभी तक हमारे क्षेत्र में जितने भी उद्योग है। उनके चलते हमारे यहॉ की खेती एकदम प्रायः नष्ट हो चुकी है। दूसरा वन आषधि जो हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर थी। वन औषधियॉ भी नष्ट हो चुकी है। तीसरा हमारे इस क्षेत्र में जो जानवर थे, जंगली जानवर थे वो प्रायः लुप्त हो चुके है और चौथा सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे जंगल में, हमारे जमीन में और हमारे पानी का शोषण करने वाले ये लोग, उद्योग हमारे क्षेत्रवासियों को कभी भी व्यवसाय या काम धंधा नहीं देते है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूॅगा कि हमारा जंगल चला गया हमारी जमीन चली गई हमारी खेती नष्ट हो गई। हमारे जो जंगल से आधारित महुआ, तेंदु, फल इत्यादि जो चीजे थी जिससे हम अपना भरण पोषण करते थे वो भी खत्म हो गए तो हमारे इस क्षेत्र के लोग, बेरोजगार नौजवानों को प्राथमिकता के तौर पर इनको दी जाए और उसके बाद हमारे इस क्षेत्र में, सर्वांग, पूरे क्षेत्र में एक से एक बड़े से बड़े उद्योग को स्थापित किया जाए। जय हिंद। जय भारत। जय छत्तीसगढ़।

341. अनमोल अग्रवाल – सर्वप्रथम जिस प्लांट की ये जन सुनवाई है उसको और प्रशासन को और यहॉ बैठे तमाम उन चेहरों को जो किसी पहचान की दरकार नहीं है। मैं यह कहना चाहूॅगा कि जिस धूल को मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यहॉ आते हुये, देखते हुये अपने जेहन में मैं बताता हूॅ आज शायद। आज हम यहा पर विवके लेकर बोल रहे है तो वह विवके लेकर बोल रहे है तो वह विवके हमारी पहचान है। मैं पहले उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूॅ जिन लोगों ने आज यहॉ पे कोटिजल डालकर, धूल मुक्त किया है। जिससे शांति से हमारा आवागमन हो पा रहा हैं, सुचारू रूप से हो पा रहा है। उसके लिये निरंतर यो ही जल छिड़काव होते रहते है तो हमारे लिये यह अच्छी बात है क्योंकि आज के.आई.टी. कॉलेज की जो स्थिति है मैं छात्र हूॅ मैं आपको छात्र के हिसाब से बताना चाहता हूॅ। के.आई.टी. कॉलेज की जो स्थिति है इस साल वहा मात्र 18 एडमिशन हुये है जिसकी जवाबदारी पूर्ण रूप से प्रशासन की है क्योंकि उसे अब तक अर्द्धशासकीय से शासकीय नहीं किया गया है। इसकी जवाबदारी शासन को लेनी पड़ेगी। पुरे प्रदेश में मात्र तीन तकनीकी कॉलेज है जिसमें से एक के.आई.टी. है वो भी अभी अर्द्धशासकीय है जिसके कारण 18 बच्चे आये है, वहा कम से कम 50 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। भवन बन रहा है।

वही देखा जाये तो वहा के बच्चे मांग करते हैं। आज हमको यहॉ से जाया जाए, प्रेक्टिकल के लिये पालिटेकनिक कॉलेज क्योंकि वहा पर प्रेक्टिकल कॉलेज मिलता है। यूं तो हर कोई जानता है दो और दो चार होते है, पर जब उनको बोल दिया जाता है कि इस दिये हुये पैसे से रोजगार करों तो स्टार्टअप के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। यह हर किसी को पता होगा कि आज कोई ऐसा युवा नहीं है जो स्टार्टअप करता हो और उसका स्र्टाटअप सक्शेस होता हो तो शायद मुझे खेद होता। हो कि जब शासन–प्रशासन 50 लाख 1 करोड़ तक का स्टार्टअप लोन देने को तैयार है। फिर भी हमारे युवां समृद्ध नहीं हो पाते उसी तर्ज में आज जिंदल फाउण्डेशन के द्वारा ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सिटी और ओ.पी. जिंदल कॉलेज आई.टी.आई. ओ.पी. जिंदल सर्विसेस खोला गया है। प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है कि रायगढ़ से जो शिक्षित बेरोजगार है जो आप यह कह सकते है शिक्षित बेरोजगार है जिनके घर वालों को उनसे आकांक्षा होती है। कुछ ऐसे होते है जो नालायक घोषित हो जाते है और कुछ ऐसे होते है जो लायक होते हुये भी नालायक घोषित हो जाते है तो उन तथाकथित समुंदरों को आपने उनकी नमकीन क्षमता जो उनका नमक था, जो उनका खारा पन था। बेरोजगारी को आपने अलग किया आपने उसको पेयजल बनाया ताकि वो कमाया जा सके, कमाऊपुत्र कहा जा सके। तो शायद ये उद्योग निरंतर इसी प्रकार हमारे उन छात्रों को बिना किसी पैसे के अगर अपने प्लांट में बुलाते है और वो निरंतर प्रक्टिकल नालेज देते है कि फर्नेश इसको बोलते है बैग फिल्टर इसको बोलते है देखिये स्लैग की मात्रा ये है इसमें क्रोम ग्रेड–6 ये पाया जाता है सब चीज का नालेज दिया जाता है तो मैं जरूर इस विकास को जोरदार तालियों से, खुली बाहो से स्वागत करूँगा, पर अगर ये विकास अपने हाथो की ऊँगलियों को कहीं भी विनाश से मिलाएगा तो हर संभव कोशिश के लिए मैं जागरूक समाज और छात्र जिंदा लाश की तरह खड़ा होके उनका विरोध करूँगा और बराबर उनका विरोध करेगा अगर आज ओ.पी.जे.आई.टी. में जो छात्र पढ़ रहे है अगर देखा जाए वहॉ से जितने भी छात्र निकलते है कैंपस प्लेसमेंट वहॉ आता है। मैडम मेरी आपसे गुजारिश है मैडम हर जगह टी.पी.ओ. घोषित किया जाए जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट आफिसर होते है उन लोगो को अपाइनमेंट किया जाए ताकि प्लांट जो है मेसर्स तिरूमाला बालाजी इन सभी लोगो को भी वहॉ बुलाया जाए कि आए और वहॉ पर हमारे छात्रों को बताए कि हमारे छात्रों को रोजगार देना चाहते है पर कहीं न कहीं जो यहॉ के लोकल लोग होते है हम होते है वहॉ आके पालिटिक्स स्टार्ट कर देते है कि हम लायक लोगों को लेते है वहॉ पर हम नालायक लोगो को लेना चालू कर दे जो उस चीज के उपरोक्त है जो उस चीज के लिए गाईडेबल है जो उस चीज के लिए नालेजेबल है अगर उस चीज को लेना स्टार्ट करे तो शायद हम लोगो को लिसन्ट और टैलेन्ट लोग मिलेंगे ना कि हमको खरीदे हुए लोग मिलेंगे। जिनको तनख्वाह भी देना पड़ता हो और उनको भुगतने भी है जिसके कारण आज ये है कि हम साक्षत रूप से कह सकते है कि गुरूघासीदास यूनिवर्सिटी हमारे पास है पर इतने प्लान्टो, उद्योगो के होने के बाद प्रदूषण फैल रहा है और जब मैं बात कर रहा हूॅ कि कितने ऐसे छात्र रहा है जो पी.एच.डी. पर शोध करते है तो हमारे पास शोध का विषय नहीं है। आज जब नेट की परीक्षा और रिसर्च के लिए जो मासिक उनको दिया जाता है 15 हजार से 12 हजार किया जाता है तब हम छात्रों की आवाज को दबाई जाती है और शायद अगर ये उद्योगपति हम उन नौजवान छात्रों से उन गरीब मॉ के कोख से निकले नवरत्नों से जाके हाथ मिलायेंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि ऐ भारत के लाल तू जा और कर रिसर्च तू मुद्दो पे रिसर्च कर इनके द्वारा जो लोग अपाइंट होते है इनके रिसर्च जो ई.आई.ए. रिपोर्ट को तैयार करते है वो ढकोसला करते है कि नहीं करते है मैं इससे अनभिज्ञ हूँ मैं उन जवाबदारियों को न समझ पाऊॅ पर ये इन चीजों से हाथ मिलाके आते है कि आप रिसर्च करिये कि उन रिसर्च से हमारा कुछ हो सके क्योंकि जिस हिसाब से आज कृषि की जमीन जा रही है। कहीं ना कहीं रोजगार के लिए आपको उद्योगो का सहारा मजबूरन लेना पड़ रहा है। आज जितने ज्यादा युवक यहा पे बेरोजगार है उससे ज्यादा वो गाय वो बैल बेराजगार है जो सड़कों पर निरंतर मरते है जिनको पूछने के लिए कोई नहीं आता। आज उन लोगो की भी बात करना चाहूॅगा क्योंकि जिनके पास मुॅह है वो तो अपने शब्दों की तो बात कर सकते है और जो मूर्ख है, या जिनके पास मति नहीं है, जिनके पास बोलने के लिए मुख नहीं है, मूकबधिर है उनकी बातो को कौन करेगा। शायद वो भी एक गंभीर चर्चा का विषय होगा। क्योंकि गॉव में पशुओं को परिवार की तरह पाला जाता है तो मैं चाहूॅगा कि कही भी ऐसी फर्टिलाईजर जोन पे खेती किसानी के जोन पे अनुरोध करूँगा समस्त प्लांटो से। एक विरोध अलग होता है, विचारधारा अलग होती है तो मैं विचारधारा को यह स्पष्ट

करना चाहूँगा कि जहॉ आप अपना स्लैग डम्प करते है वो डिस्पोजल एरिया सर्टिफाईड होना चाहिए। मैम मेरेको शायद नालेज की कमी होगी पर यहा जैसे हमारे आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, राजेश त्रिपाठी जी, सविता रथ जी और अन्य गणमान्य नागरिकों ने बताया था जो इस जगत के चुनिंदा और चमकीले चेहरे है तो मैं यह बताना चाहूँगा कि उस जगह ऐसी जगह पर डिस्पोज किया जाए हमको किसी भी प्रकार की दूर–दूर तक क्योंकि 100 प्रतिशत कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता मैम। हर कोई 100 प्रतिशत क्वांटेटिव और क्वालिटेटिव नहीं हो सकता पर हम चाहते है ऐसी जगह डिस्पोज किया जाए जहा से कोई हानिकारक चीज न पाई जाए। क्योंकि इनके पास रिपोर्ट भी है मैने चेक किया था जो टी.पी.सी.एल. रेशियों आता है अगर उसमें किसी भी प्रकार से क्रोम ग्रेड–6 पाया जाता है तो प्लांट और प्रशासन मिलकर हमारा सहयोग करे क्योंकि आज जब आप जन सुनवाई करा रहे है, शायद जनता के लिए सुनवाई होती है। जनता के लिए रोजगार उपलब्ध होता है कई बार ये चीज देख के मन में भू–संकलन सा होने लगता है। हम जिन लोगो के लिए बात करने आए है वो परदे के पीछे है, आज हम जिन लोगो के लिए बात करने के लिए आए है वो कुर्सी पर बैठे हुए है, और जो लोग बोलने आते है वो खड़े तोते है। एक चुनिंदा, एक बंधे हुए शेर की तरह पिंजरे में रख के बोलाया जाता है और हम बोलते है और लोग हमें सुनते है और हम तमाशबीन की तरह आज अपने ही जहर, अपने ही शहर, अपने ही सरकार के सामने लाचार और लावारिश होकर भीख मांगते नजर आते है तो इन सब प्रक्रियों को बदलते हुये ऐसी बुनियाद नीव रेडी की जाये कि प्यासा खुद चलकर समुंदर के पास आये। ऐसे उपभोक्ताओं, उपलक्षताओ को तैयार करें और एक चीज मैं निरंतर बताना चाहूँगा कि माना कि अंधेरा बहुत घना है पर आप ही बताओं दीया जलाना कहॉ मना है। धन्यवाद।

342. अरून, पुंजीपथरा – समर्थन।
343. हितेश्वर, पुंजीपथरा – समर्थन।
344. विश्वरूप, पुंजीपथरा – समर्थन।
345. अनिल, पुंजीपथरा – समर्थन।
346. शिव कुमार, पुंजीपथरा – समर्थन।
347. अंसारी, पुंजीपथरा – समर्थन।
348. रामा साहु, रायगढ़ – समर्थन, ।
349. गजेन्द्र, रायगढ़ – समर्थन, ।
350. उश्मान बेग, रायगढ़ – मैं उस्मान बेग इस क्षेत्र का नागरिक हूँ। सर्वप्रथम तो मैं इस जनसुनवाई का ही विरोध करता हूँ। किस आधार पर आप जनसुनवाई करा रहे है। आज इतने उद्योग लग जाते है हमारे क्षेत्र में, यहा बाहर से लोग आते है जन सुनवाई का समर्थन करते है कितने प्रस्तावित गॉव के लोग यहॉ आकर समर्थन करते है। हमे यह बताइए। मैं प्रशासन से, पुलिस से और इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से जन सुनवाई पे जनसुनवाई करते है। ऐसे जनसुनवाई का नाम बताइए जिसमें विरोध पे विरोध हुआ, उस जनुसनवाई के विरोध के बाद भी, उस उद्योग का लग जाना हमारे लिए मूर्खता और शर्मनाक बात है। यहॉ पर पहले ही सबकुछ सेट हो चुका है प्रशासन पुलिस और सरकार सब कुछ उद्योग के साथ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उद्योग की परमिशन दे दीजिए। हम इस क्षेत्र के साथ है हमारी लोगों के साथ है। हमारी लोगो के साथ है यहॉ धूल हम खाते है, यहॉ एक्सीडेंट हमारे लोगो का होता है, यहॉ पर आप जन सुनवाई कराते है निकल जाते है ये तो पूरा प्रस्तावित है किसलिए जनसुनवाई करा रहे है आप बंद कीजिए इसे या मुझे गिरफ्तार कीजिए अगर मैं कही पर गलत बात बोल रहॉ हूँ तो, यहा पर आपको बताना चाहूँगा कि हम पर्यावरण विभाग भी गए हुए थे हमने इनसे सवाल पूछा कि आप किस आधार पर यहॉ पर जन सुनवाई का परमिशन दे देते है। इनका एक ही कहना रहता है कि आपके तरफ से कोई कागज ही नहीं आता। सर मैं आपसे सवाल है कि आप क्यू बैठे है यहॉ पर। आपका कोई हक नहीं है। प्रशासन की मैम बैठी है माफी चाहूँगा मैम अगर मैं कोई गलत बात बोल रहॉ हूँ तो मैं आपसे भी यह सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से भी यह पूछना चाहता हूँ। यहॉ हमारे लोग मरते है मैम, हमारे छात्र–छात्राए यहॉ पर रह रहे है, यहॉ पर स्कूल है, हमारे लोग मर रहे है, हमारे लोग जी रहे है, हमारे लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे है, हमारे लोगो को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है उद्योग में आउटसोर्सिंग हो रही है कितने लोगो को रोजगार दिया जाता है। आज जितना भी

समर्थन मिले, विरोध मिले लेकिन अंतिम मे मैं यह बात जानता हूँ कि पूरी सरकार और प्रशासन भी मिली हुई है और इस उद्योग को लगाने के लिए आप सभी भी समर्थन दे रहे है। छात्रों की आज बात करते है हम युवाओं के लिए बात करते है मैम। हम बोलना चाहेंगे यहॉ पर कि सभी जितने मेरे भाई आए हुए है। उनके माध्यम से बोलना चाहता हूॅ उनकी आवाज बनकर बोलना चाहता हूॅ कि आने वाले दिनों में कभी भी जनसुनवाई हो तो आधार कार्ड को लिंक कराओं, हर चीज को आधार कार्ड से लिंक कर रहे है। प्रस्तावित गॉव के जितने लोग आए, समर्थन और विरोध उनका लिया जाए, न कि हमारे जैसा कोई घरघोड़ा का आए, रायगढ़ का आए या धरमजयगढ़ का आए यहॉ पर सीधा–सीधा मेरा सवाल यही है उद्योग के लोग जाते है सरकार के साथ काम करते है, सरकार के साथ मिलकर काम करते है और सीधा–सीधा 70 प्रतिशत लोग है जो काम करते है हमको रोजगार नहीं मिलता, यहा बीमार हम लोग होते है मर हम लोग जाते है हम यहॉ से 40 कि.मी. दूर रायगढ़ जाते है कभी भी एक्सिडेंट की संभावना बनी रहती है। हम मरते है मैम मुआवजा मिल जाता है सब कुछ हो जाता है फिर आवाज दब जाती है। सर्वप्रथम मैं आपसे तो निवेदन के माध्यम से यह कहना चाहूॅगा कि जितने भी उद्योग लगे है कितने लोगो को पर्यावरण विभाग ने कार्यवाही की, कितने लोगो ने पर्यावरण विभाग पर कार्यवाही की कि, यहा पर जितने भी उद्योग है। ये जो प्रदूषण फैला रहे है इस पर कोई कार्यवाही की, कभी नहीं की, हम आते है पेड़ देखते है, मैल रहता है, कचरा रहता है, पुरी गंदगी फैली रहती है वैसे हमारे साथ में भी होता है मैं माफी चाहूॅगा मैं माफी–माफी बार–बार इस लिये बोल रहा हूॅ कि आप लोग कार में बैठकर निकल जाते है हम मोटर–सायकल में आते है हम, साईकल में आते है, हम बस मे चढ़ते है, हम मध्यम परिवार से है हमको इस चीज का दर्द होता है। हम इस क्षेत्रवासियों के साथ है पुरा युवा साथ है। पुरा छात्र है रायगढ़ जिले का और मैं अपनी वाणी से बताना चाहूॅगा कि आज जितना भी इस चीज को परमिशन दिलायेंगे आने वाले दिनों में हम पर्यावरण विभाग के घेराव के साथ–साथ कलेक्टर का भी घेराव करेंगे, और इस उद्योग का भी घेराव करेंगे। यह मेरी खुली चुनौती है आप लोगो को। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय छत्तीसगढ़।

351. लालसाय, रायगढ़ – समर्थन, ।
352. हरेन्द्र, रायगढ़ – समर्थन, ।
353. क्रांति गुप्ता, घरघोड़ा – इस क्षेत्र में रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा उद्योग है लेकिन यहॉ के सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी है। घुम रहे है बाहर के लोगो को लाके यहा नौकरी दिला रहे है, लेकिन यहॉ के युवाओं को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना डस्ट है एक्सीडेंट हो रहा है सिर्फ मुआवजा लेके उनको चुप करा दिया जा रहा है क्या उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। सिर्फ उद्योगो का विस्तार किया जा रहा है इसपर भी गौर करें। रोड एक्सिडेंट भी हो रहे है 1 लाख 2 लाख दे दिया जा रहा है उसके बाद क्या उसके जीवन का मूल्य 1, 2 लाख ही है क्या? 90 प्रतिशत लोग रायगढ़ में बाहरी है और यहा के जो किसान है वो चुप है शांत है उनको डरा के उनके जमीन को ले लिया जा रहा है। पानी के मूल्य में ले लिया जा रहा है। 20 हजार 10 हजार एकड़ में खरीद के यहॉ उद्योग लगा दिये जा रहे है और वो लोग जो जमीन दिये है वो लोग वहॉ झाड़ु मार रहे है। उनको भी अच्छे पोस्ट में नौकरी दिया जाये या तो उनको डरा कर साईड कर दिया जाता है या फिर उनको प्लांट के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। झूठ बोलकर फर्जी करके जमीन को खरीद लिया जाता है और उद्योग लगाकर सब पैसा बाहर जा रहा है। बोलते है सी.एस.आर. में काम कर रहे है कही तो नही दिखता सी.एस.आर. में सिर्फ और सिर्फ यहा घोटाला हो रहा है। युवाओं के ऊपर यहॉ कोई ध्यान नहीं है। कितने लोग लिये है इस कंपनी में क्षेत्रीय लोगो को मैं पूछना चाहता हूॅ कंपनी से कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है यहॉ। 2 दिन काम मे रखते है तीसरे दिन हटा दिये जाते है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग भोले–भाले है। ये बोल दिया जाता है कि इन लोग काम नहीं जानते है क्या बाहर के लोग ही काम जानते है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों आये। अपने राज्य में रहकर काम करें। यहॉ युवा आज दर–दर भटक रहा है हर आदमी को यहॉ रोजगार दिया जाये। लेकिन यह कपंनी कभी नहीं देगी न सी.एस.आर. में काम करेगी, न क्षेत्र का कुछ करेगी। मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ।
354. धनीराम, तराईमाल – समर्थन, ।
355. हेमलाल, तराईमाल – समर्थन, ।
356. संतोष, तराईमाल – समर्थन, ।

357. राजेश शर्मा, घरघोड़ा – मंच पर बैठे सभी अधिकारी से मेरा एक सवाल है ये जो जन सुनवाई का जो ढकोशला हो रहा है फैक्ट्री प्रबंधन ने अनुमति लेने के लिये, क्या उस जगह में विस्तार के लिये जो जनसुनवाई आज की जा रही है उस जमीन का क्या डायवर्सन हुआ है। मैं आप लोगो से पुछना चाहता हूँ। बिना डायवर्सन बिना भूमि को परिवर्तित किये बिना ये अनुमति आपको कैसे दे देंगे। इसका मैं पूरजोर से विरोध करता हूँ। दिल से विरोध करता हूँ और आगे भी विरोध होगा।

358. फुलचंद, पुंजीपथरा – समर्थन।

359. सुधीर पासवान, पुंजीपथरा – समर्थन।

360. कैलाश मिश्रा, घरघोड़ा – मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ क्योंकि इसमें सी.एस.आर. मद के और दूनिया भर के जो कार्यक्रम होते है उसका कहीं भी विलक्षित होता है इसलिये मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ।

361. पंचराम मालाकार, तराईमाल उप सरपंच – ग्राम पंचायत तराईमाल का उपसरपंच हूं एवं गांव का छोटा कृषक भी हूं हमारा तो हमारा परिवार का लगभग एक हजार एकड़ जमीन ग्राम तराईमाल में चारों तरफ फैला हुआ था हम लोग बहुत बड़ा परिवार है लेकिन पहले क्या हुआ औने पौने में हम लोग जमीन को दे दिये जिसके एवज में हम लोग दूसरा जगह भी जमीन लिये हैं। अभी दो–चार एकड़ जमीन बचा है, तो डस्ट के कारण खेती थोड़ा संभव नहीं है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ की ये ध्यान रखते हुये डस्ट कंट्रोल करें और गांव के बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाए फैक्ट्री का तो विरोध तो अब पन्द्रह साल हो गया अब क्या करेंगे विरोध का बाकी हम लोगों का कहना है कि हमारे गावं से ही पूंजीपथरा कॉलेज में इंजीनियर कम से कम 10 लड़का–लड़कियां इंजीनियर करके निकले हुये हैं। लेकिन इतना गरीब वर्ग के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो दर–दर भटक रहे हैं उनको आज तक कोई नौकरी नही मिली मैं शासन से रिक्वेस्ट करता हूँ इतना बड़ा क्षेत्र है चारों तरफ हमारे ही पंचायत के अंतर्गत पूंजीपथरा में 35 फैक्ट्री है हमारे ही पंचायत में पहले था यानी विभाजित होकर सामारूमा चला गया है। लेकिन कई आदमी ने बोला की एक्सीडेंट होता है उनके लिये एम्बुलेंस अभी इतनी बड़ी फैक्ट्री है कोई रोड में अचानक एक्सीडेंट हो जाये तो एम्बुलेंस मिलना मुश्किल है शासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर फैक्ट्री में कम से कम एक ऐबुलेंस होना चाहिए और चारों तरफ से यहां से 20 किलोमीटर रायगढ़ से 20 किलोमीटर तमनार 20 किलोमीटर घरघोड़ा तो यहां मध्य पड़ता है मैं चाहता हूँ की शासन से की बंजारी मंदिर में एक्सीडेंट होता है तो यहॉ ईलाज होता तत्कालीन ईलाज होकर एक डॉक्टर यहॉ व्यवस्थित किया जाये, और रोजगार हमारे गरीब को दिया जाये जिनका जमीन गया है उनको कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाये अभी इतने कई किसान होंगे जिनको रोजगार नहीं मिला और सी.एस.आर. का बात आती है तो सीएसआर में तो उद्योग कुछ न कुछ करते है वैसी बात नहीं है हमारे सिंघल फैक्ट्री कम से कम बंजारी मंदिर में कई लाखों रूपये दान दिये होंगे हमारे नलवा फैक्ट्री द्वारा कई लाखों रूपया दिये होंगे तब तो इतना भव्य रूप से मंदिर बना है और छोटा फैक्ट्री किया भी और कुछ न कुछ यहां दान दे के गये हैं दिये हैं तब ही इतना बड़ा मंदिर बना है यह मंदिर भी हमारा माननीय श्री अंकुर गौटिया जी के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया है और वह अपना बलिदान अपना जान जख्म देके 24 घंटा यहॉ सेवा दे रहे हैं जितने भी फैक्ट्री यह है पूंजीपथरा के और मंदिर के जो यहॉ प्लांट बना है तो कम से कम ध्यान दे दीजिये जिसमें रंगीन मछलिया है तालाब बनी हुई है उनका जिर्णोधार कर दीजिए। यह तालाब का गंदा पानी है कम से कम कई हजार मछलियां है और थोड़ा पानी गंदा हो रही है डस्ट की वजह से मछलिया मर रही है उनके लिए फिल्टर के लिये शासन से मेरा अनुरोध है कि उसमें फिल्टर मशीन लगाया जाये। जितने भी उद्योगपति है उनसे बोलकर एक फिल्टर मशीन लगाये जो कि दूर–दराज से हमारे दर्शनार्थी आयेंगे तो देखेंगे कि कुछ उन्नित हुई है। गार्डन का भी रख–रखाव नहीं है। जैसे बोला जा रहा है कि मवेशी जैसा छूट है चारो तरफ मवेशी मंदिर परिसर के अंदर घुमते है कोई ढंग से रखवाली नहीं है तो मवेशी दरवाजा खुला रहता है तो घुस जा रहा है। नलवा फैक्ट्री द्वारा बीच–बीच बच्चों लोगो को गणवेश दिया जाता है जितने भी हमारे सारे स्कूल में या आस–पास के क्षेत्र है गेरवानी हो या सराईपाली हो बड़गांव हुआ वहॉ जाकर कम से कम ओमप्रकाश जिंदल के जन्मदिन में वे स्कूल गणवेश देते है कक्षा 1 से 12वीं तक का गणवेश दिया जाता है और हमारे गांव में अभी 2 वर्ष हो गया है सी.एस.आर. से कोई कार्य नहीं हो रहा है मैं अनुरोध करता हू कि सी.एस. आर. का पैसा गांव में बहुत सारा अधुरा रोड बनना बाकी है वे तो 2, 3 रोड बनवाये हुये है लेकिन मैं

उनसे अनुरोध करता हूँ कि अधुरा रोड एवं नालियों को और आगे बनाने का चेष्ठा करें। बस मैडम मैं तिरूपति बालाजी का समर्थन करता हूँ। बंजारी मंदिर एवं आस–पास जितने भी पंचायत आते है वहॉ जो भी कार्य स्कूल के बच्चे लोगों का या स्वास्थ्य के लिये जो परेशानिया है टी.वी. हो राहा है, अस्थमा हो रहा है मेरे कहने का मतलब है कि बीच–बीच में वे स्वास्थ्य विभाग भी ध्यान देकर अपना कार्य को आगे बढ़ाए और शिक्षा का विस्तार हो, और गांव का विकास हो। बस धन्यवाद।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी प्रतिनिधि पर्यावरण कंसल्टेंट श्री महेश्वर रेडडी, पायोनियर इन्वायरो, हैदराबाद – सबसे पहले ग्रीनबेल्ट के बारे में इस प्लांट में पांच एकड़ की जमीन में हरियाली की पट्टी की वृद्धि की जायेगी सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम्स के हिसाब से किया जायेगा। सी.एस.आर. के लिए कॉरडिनेशन कमिटी का का सजेशन दिया गया है। हम कंपनी के तरफ से करने के लिये सहमत हैं। गवरमेंट रूल के परशेंटेज के हिसाब से किया जायेगा। एक और प्रश्न आया था कि 45 दिन में पब्लिक हियरिंग हुआ नहीं एक्चुअली प्रोजेक्ट प्रपोनेन्ट को हेल्प करने के लिये इस का प्रावधान किया गया है। इंवायरमेंटल क्लीयरेंस का प्रोसेस डिले हो जायेगा इससे प्रोजेक्ट प्रपोनेन्ट को नुकसान होगा। अवसर का कोई प्रोब्लम नहीं होना चाहिए। क्रोप डेमेज खेती का डेमेज के बारे में हम इस परियोजना में बैग फिल्टर कन्वेयर सिस्टम पूरा कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है, जीरो लिक्वीड डिस्चार्ज सिस्टम भी है। और सॉलिड वेस्ट जो निकल रहा है उसे जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क में जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साईट है उसमें भेजा जा रहा है एक्जेसटिंग प्लांट का एक्सपॉन्सन में भी इसी तरह से किया जायेगा। जो क्रोम का स्लेग है क्रोम का टी.सी.एल.पी. टेस्ट भी करवाया था उसमें क्रोमियम परसेंट लिमिट से कम हैं, उसे डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं। इन केस फ्यूचर में कभी ऐसा आयेगा तो टी.एस.डी.एफ. फैसिलिटी में भेजा जायेगा। प्रस्तावित एक्सपॉन्सन के लिये 25 कि.ली. प्रतिदिन की पानी की रिक्वायरमेंट है जिसकी अनुमति ग्राउंड वाटर बोर्ड से लिया जायेगा। ग्राउंड वाटर अनुमति के लिये एप्लीकेशन सबमिट किया है प्रासेस में है। ग्राउंड वाटर की अनुमति लेने के बाद ही पानी का उपयोग किया जायेगा। एलीफेंट कॉरिडोर के बारे में हम लोग इ.आई. ए. रिपोर्ट में लिखा है की 10 किलोमीटर में एलीफेंट कॉरिडोर है इसके लिये कन्जरवेसन प्लान कंपनी ने बनाया है कन्जरवेसन प्लान फाइनल अप्रूवल के लिये है। इसके लिये 30 लाख का पैकेज भी एलोकेट किया है। सिलिकोसिस के बारे में एक विचार था नॉरमली सिलिका सेंड माईनिंग में होता है जहॉ कन्टिन्यूअस एक्सपोजर 10 घंटे एक–एक दिन में होता है तभी सिलिकोसिस का एक्सपोजर होगा या रॉक ड्रिलिंग में इस तरह की चीजों में होता है हम इस नॉरमल में हम इस प्लांट का क्वार्ट्ज का यूज करेंगे। इसे फर्नेस में डाल देंगे इसलिए एक्सपोजर टाईम बहुत कम है इसलिए सिलिकोसिस आने की संभावना नहीं है। इसके बाद भी मास्क भी एम्प्लॉईज काम कर रहा है मास्क पहन के जायेंगे। डस्ट सप्रेशन सिस्टम भी इससे सिलिकॉन डस्ट भी वायु में नहीं आयेगा। सोशल इम्पेक्ट एसेसमेंट नॉरमली जो ग्रीन प्रोजेक्ट के लिये रिक्वायरमेंट होता है यह एक्जेस्टिंग

प्लांट में उसी प्लांट में जो ऑल रेडी एक्जिस्टिंग इसी में एक्सपॉन्शन कर रहा हैं इसलिए सोशल इम्पेक्ट के लिये सेपरेट स्टडी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग सी.एस.आर. के लिये जो बजट किया है वह गवरमेंट रूल के हिसाब से किया जायेगा जो इंम्प्लॉयमेंट के बारे में लोकल पीपल को प्राथमिकता दिया जायेगा। एल्टरनेट साईट का एक मुद्दा आया था जब एक्जेस्टिंग प्लांट में एक्सपॉन्शन का प्रपोजल आया तो कोई अल्टरनेट साईट का जरूरत नही होता। एक्जेस्टिंग प्लांट के लिये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन है। सभी मापदण्डों के साथ प्लांट ऑपरेट कर रहा है। ये सब करेगा तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसी साईट पर एक्सपॉन्शन के प्रपोजल की अनुमति के लिये आवेदन किया है। ग्राउंड वाटर सेष के बारे में एक मुद्दा आया था कि ग्राउंड वाटर सेष कंपनी रेगुलरली पे कर रहा है स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट को। क्रोमियम और कुछ केमिकल आने की संभावना के बारे में कोई बोल रहा था जब क्रोमियम कंटेन्ट वाला स्लेग आता है तो क्रस करके क्रोम रिकवरी करके तो परमिशिबल लेबल में होता है क्रोमियम उसके अंदर होने पर पर्यावरण पर कोई प्रभाव नही है किसी हेल्थ पर या केंसर कारक डिसीज नहीं होगा इससे क्रोस होगा तभी तो प्रोब्लम होगा। सेड्यूल एरिया बोलके एक इश्यू आया था ये पूरा इण्डस्ट्रीयल पार्क का सी.एस.आई.डी.सी. ने जो अभी तो जिंदल पार्क हो गया जिंदल ने इंडस्ट्रीज को एलोकेट किया अलग–अलग तो यह आलरेडी डायवर्टेड है तो इसमें सेड्यूल एरिया का इश्यू नहीं आयेगा। एक मुद्दा आया था जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क का इन्वायरमेटल क्लीयरेंस जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क 2006 के पहले स्थापना किया गया है इसलिए इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस का जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत का एनओसी के बारे में एक मुद्दा आया था जिसमें यह पूरा लैण्ड सी.एस.आई.डी.सी. ने एक्वाईड किया है और पूरा लीज पर जा रहा है। इसलिए ग्राम पंचायत का एनओसी का जरूरत नही है। लैण्ड डायवर्सन के बारे में एक मुद्दा आया था पूरा लैण्ड सी.एस.आई.डी.सी. ने खरीद कर ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क को लीज पर दिया था जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क फिर इण्डस्ट्रीज को लीज में दे रहा है यह पूरा डायवर्टेड है आलरेडी इण्डस्ट्रीयल के लिये एलोकेशन है। सेपरेट डायवर्सन की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।

सुनवाई के दौरान 04 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तद्पश्चात सांय 04:00 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(आर.के. शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(रोक्तिमा यादव)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)